सत्यमेव जयते

झारखण्ड सरकार

वित्त लेखे

(खण्ड – 1)

2011–2012

विषय-सूची

विषय			पृष्ठ
	खण्ड 1		
■	विषय-सूची		(i) - (ii)
■	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	...	(iii) - (iv)
■	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	...	(v) - (viii)
1 :	वित्तीय स्थिति का विवरण	...	1 - 2
2 :	प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का विवरण	...	3 - 4
3 :	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)	...	5 - 8
4 :	व्यय का विवरण (समेकित निधि) कार्यात्मक एवं प्रकृति अनुसार	...	9 - 14
■	लेखे पर टिप्पणियाँ	...	15 - 35
■	परिशिष्ट I : रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश	...	36 - 37
	खण्ड 2		
भाग I			
5 :	प्रगामी पूंजीगत परिव्यय का विवरण	...	38 - 42
6 :	उधार ली गयी राशियों एवं अन्य देयताओं का विवरण	...	43 - 46
7 :	सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का विवरण	...	47 - 55
8 :	सरकार द्वारा दिये गये सहायक-अनुदान का विवरण	...	56 - 57
9 :	सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण	...	58 - 59
10 :	प्रभारित और दत्तमत व्यय का विवरण	...	60 - 62
भाग II			
11 :	लघु-शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण	...	63 - 96
12 :	लघु-शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण	...	97 - 160
13 :	पूँजीगत परिव्यय का विस्तृत विवरण	...	161 - 234
14 :	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण	...	235 - 251
15 :	उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण	...	252 - 271
16 :	सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण	...	272 - 291
17 :	राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं इसके उपयोग का विस्तृत विवरण	...	292 - 294

विषय				पृष्ठ
18	:	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा लेनदेनों का विस्तृत विवरण	...	295 - 308
19	:	उद्दिष्ट निधियों के निवेश से संबंधित विस्तृत विवरण	...	309

भाग III : परिशिष्ट

II	:	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	...	310 - 320
III	:	सबसिडी पर तुलनात्मक व्यय	...	321 - 334
IV	:	सहायक अनुदान (योजनावार एवं संस्थावार)	...	335 - 376
V	:	बाह्य सम्पोषित परियोजनाएं	...	377
VI	:	योजनागत योजना व्यय (केन्द्रीय एवं राज्य की योजनागत योजना)	...	378 - 390
VII	:	क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे स्थानान्तरित की गई निधियाँ	...	391 - 395
VIII	:	शेषों का सारांश	...	396 - 402
IX	:	सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम	...	403
X	:	अपूर्ण निर्माण कार्य	...	404 - 450
XI	:	वेतन एवं गैर-वेतन हिस्सों में विभाजित अनुरक्षण व्यय	...	451 - 454
XII	:	राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, वैसे मदों का विवरण जिसके शेषों के बँटवारे का निर्णय नहीं हुआ है	...	455 - 460

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

इस संकलन में 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे शामिल हैं जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया जाता है। खंड I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति शामिल है और खंड II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाते हैं। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के लिए वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के साथ पठित बिहार पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की आवश्यकताओं के अनुसार हमारे पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तैयार किया गया है और उन्हें झारखण्ड सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत ऐसे लेखाओं के कार्यचालन को रखने वाले उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरणों {7 (ii), 8, 9,14,15 (ख)(i) तथा 15 (ग)(i)}, व्याख्यात्मक टिप्पणियों {विवरण संख्या 5 (क), 6 (क) तथा 6 (ख) और विवरण संख्या 11 का टिप्पणी (iii) } और परिशिष्टों { v, vi, ix (i), ix (ii), x तथा xi } को झारखण्ड सरकार/निगमों/कम्पनियों/सोसाइटियों जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है।

झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और/अथवा विभाग प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं की तैयारी और परिशुद्धता के साथ-साथ ऐसे लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन **महालेखाकार (ले. एवं हक.)** के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)** के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्गों, पृथक रिपोर्ट देने वाली प्रणालियों एवं प्रबंध संरचना के साथ एक स्वतंत्र संगठन है।

लेखापरीक्षा सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए मैं अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक ''लेखाओं के लिए टिप्पणियों'' के साथ पठित वित्त लेखे 2011-12 वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष अथवा पूर्व वर्षों के दौरान इन लेखाओं के अध्ययन के साथ-साथ की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य मुद्दे 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली झारखण्ड सरकार पर हमारे प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

दिनांक :
नई दिल्ली

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

क. सरकारी लेखे की संरचना का विस्तृत अवलोकन

1. सरकार के लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते है :-

भाग I : समेकित निधि : राजस्व एवं पूंजीगत लेखे, लोक ऋण तथा कर्जे एवं पेशगियां के सभी प्राप्तियों और व्यय, राज्य के समेकित निधि का निर्माण करते हैं।

भाग II : आकस्मिकता निधि : विधायिका, विधिसम्मत एक आकस्मिकता निधि, जो कि अग्रदाय निधि की प्रकृति का है, की स्थापना कर सकती है। इस निधि को राज्यपाल के अधीन निष्पादन हेतु इस अधिकार के साथ रखा गया है कि वे वैसे आकस्मिक व्यय से निपटने हेतु अग्रिम प्रदान कर सकें, जिस व्यय को राज्य विधान मंडल के द्वारा अधिकृत किया जाना लम्बित है। राज्य के समेकित निधि के संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में व्यय को नामे द्वारा इस निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III : लोक लेखा : सरकार के द्वारा या सरकार की तरफ से प्राप्त किये गये अन्य सभी लोक धनों को लोक लेखा में जमा के रूप में दर्ज किया जाता है। इस लेखे से किए गए व्यय पर विधान मंडल के मत की आवश्यकता नहीं होती है। इस लेखे में प्राप्तियों के संबंध में सरकार एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। ऋण (भाग I में लोक ऋण से भिन्न), जमाओं, अग्रिमों, आरक्षित निधियों, प्रेषणों तथा उचंत से संबंधित लेन देनों से लोक लेखा का निर्माण होता है।

क. 1.1 सरकारी लेखे की संरचना का चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण

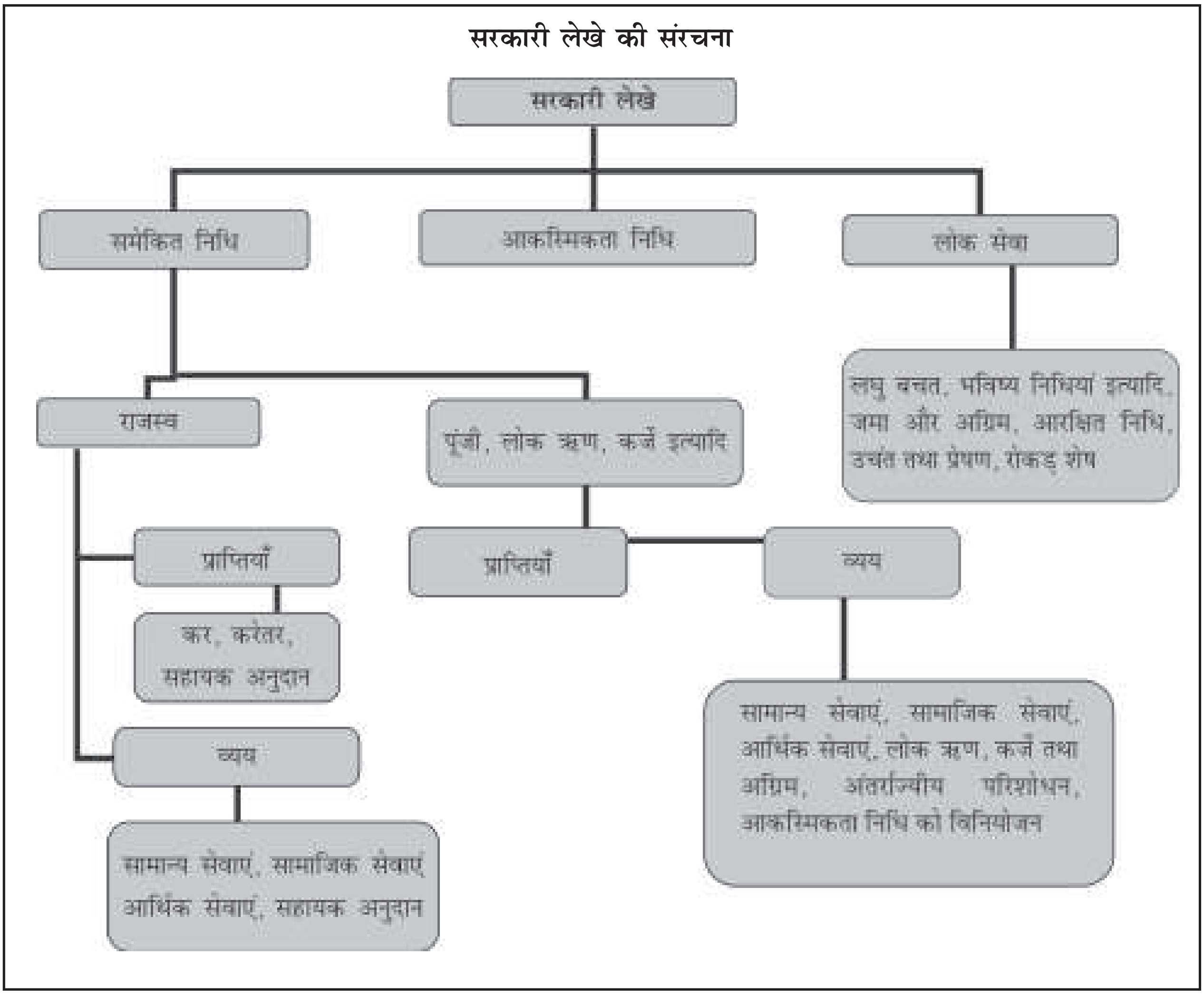

2. भाग, अनुभाग, खण्ड इत्यादि

समेकित निधि में लेखे के दो मुख्य भाग होते हैं जैसा कि पूर्व पृष्ठ क. 1.1 में उद्धृत किया गया है, ''राजस्व'' और ''पूंजी'', ''लोक ऋण'', ''कर्जे-इत्यादि'' जिन्हें दो अनुभागों ''राजस्व'' तथा ''व्यय'' में विभाजित किया गया है। समेकित निधि के प्रत्येक भाग तथा अनुभाग के अन्दर व्यय पक्ष के लेन देनों को सामुहिक रूप से ''खण्ड'' में यथा ''सामान्य सेवाएं'' ''आर्थिक सेवाएं'' के तहत निर्दिष्ट विशेष कार्य या सेवाओं में संयोजित किया गया है। खण्डों को पुन: ''उप-खण्डों/लेखा के मुख्य शीर्षों'' में विभाजित किया गया है। मुख्य शीर्ष, कार्य प्रकृति से संबंधित होता है जिसे पुन: ''उप-मुख्य शीर्षों'' (उप-कार्यों) तथा ''लघु शीर्षों'' (कार्यक्रमों) में विभाजित किया गया है, जैसा कि वित्त लेखे के खण्ड दो में उद्धृत है। लेखा के लघु शीर्षों के नीचे वर्गीकरण यथा उपशीर्ष (योजना) और विस्तृत तथा वस्तु शीर्ष (व्यय की प्राथमिक इकाई) का उद्धरण (कुछ अपवादों को छोड़कर) वित्त लेखें में नहीं किया जाता है, तथापि परिशिष्टों में कुछ विस्तृत जानकारियों को सम्मिलित किया जाता है।

ख. विवरणों में क्या अर्न्तविष्ट है

वित्त लेखे को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। खण्ड 1 सरकार के वित्तीय विवरणों को सर्वसामान्य समझने योग्य सारांश के रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि खण्ड 2 में विस्तृत विवरण को प्रस्तुत किया जाता है।

खण्ड I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, चार संक्षिप्त विवरणों, जैसा कि नीचे दिया गया है तथा लेखाकरण नीति सहित ''लेखे पर टिप्पणियाँ'' समाविष्ट हैं।

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण:** सरकार के परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के समेकित आंकड़े, जैसा कि वर्ष के अन्त में था, को इस विवरण में उद्धृत किया गया है। परिसम्पत्तियाँ, जो कि प्रगामी पूंजीगत परिव्यय के आँकड़ों के साथ वृहत वित्तीय परिसम्पत्तियों को इंगित करता है। लेखाकरण नीति के अनुसार, परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य उद्धृत किया गया है। परिसम्पत्तियाँ, जो कि प्रगामी पूंजीगत परिव्यय के आँकड़ों के साथ वृहत वित्तीय परिसम्पत्तियाँ है, सरकार की भौतिक परिसम्पत्तियों को इंगित करता है। लेखाकरण नीति के अनुसार, परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य पर उद्धृत किया जाता है।

2. **प्राप्तियों और व्ययों का विवरण:** यह एक संक्षिप्त विवरण है, जो कि सभी तीनों भागों यथानामित समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे, जिसमें कि सरकारी लेखे रखे जाते हैं, वर्ष के दौरान सरकार के सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त समेकित निधि के अधीन राजस्व तथा पूंजी लेखा पर प्राप्तियों एवं व्ययों को पृथक रूप से दर्शाया जाता है।

   सरकार के राजकोषीय मानकों यथा प्राथमिक, राजस्व तथा राजकोषीय घाटे की गणना राज्य के समेकित निधि के संचालन पर की जाती है। अत: निम्नलिखित दो विवरण, समेकित निधि के संचालनों को संक्षिप्त रूप में दर्शाते हैं।

3. **प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि) :** राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों तथा सरकार के उधारों से प्राप्तियां, जिसमें भारत सरकार से प्राप्त कर्जे, अन्य संस्थानों, सरकार द्वारा उगाहे गये बाजार कर्जे, सरकार द्वारा दिए गए ''ऋण तथा अग्रिम'' की वसूलियाँ, सम्मिलित हैं, से संबंधित राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ, इस विवरण में समाविष्ट हैं।

4. **व्यय का विवरण (समेकित निधि) :** यह विवरण केवल कार्यात्मक व्यय (क्रियाकलाप) को ही नहीं, बल्कि कार्य की प्रकृति (वस्तुनिष्ठ व्यय) के सारांशित व्यय को भी प्रदर्शित करता है।

   इसके अतिरिक्त इस खण्ड में 'परिशिष्ट 1' समाविष्ट है, 'जो कैश फ्लो' के रूप में सरकार के प्राप्तियों एवं व्ययों का एक उद्धरण है।

   खण्ड 2 में तीन भाग समाविष्ट होते हैं। **भाग 1 में छ: विवरण शामिल हैं,** जो निम्नलिखित हैं-

5. **प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण:** यह विवरण प्रगामी पूंजीगत व्यय का कार्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है, जिसके कुल योग को **विवरण 1** में उद्धृत किया जाता है।

6. **उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण:** सरकार के उधार में, सरकार द्वारा उगाहे गये बाजार कर्जे (आंतरिक ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त ''कर्जे तथा अग्रिम'' शामिल हैं। ये दोनों मिलकर राज्य सरकार के ''लोक ऋण'' का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त यह संक्षिप्त विवरण ''अन्य देयताओं'', जो कि लोक लेखा में विभिन्न लेखा खण्डों के अंतर्गत शेष होते हैं, को उद्धृत करता है। परवर्त्ती के संबंध में सरकार एक ट्रस्टी या अभिरक्षक के रूप में निधि की देखभाल करती है, अत: ये सरकार के देयताओं का निर्माण करती है। इस विवरण में ऋण की सेवाओं पर एक टिप्पणी, यथा राजस्व प्राप्तियों से निवल देय ब्याज की मात्रा पर टिप्पणी, भी समाविष्ट है।

7. **सरकार द्वारा दिए गए कर्जे तथा अग्रिमों का विवरण:** विवरण 1 में राज्य सरकार द्वारा दिए गए ''कर्जे एवं अग्रिमों'' का उल्लेख किया जाता है तथा विवरण 2, 3 एवं 4 में वापसियों, भुगतान की रूप-रेखा का उल्लेख किया जाता है। यहाँ, कर्जे तथा अग्रिम को सारांशित खण्ड में तथा लेनदारों को सामूहिक रूप में दर्शाया जाता है। इसके उत्तरवर्ती, कर्जे तथा अग्रिम को सारांशित खण्ड में तथा लेनदारों को सामूहित रूप में दर्शाया जाता है। इसके उत्तरवर्ती, कर्जे के संबंध में बकाए वापसियों पर टिप्पणी, जिसका विस्तृत विवरण महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के विभागों द्वारा रखा जाता है।

8. **सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण :** इस विवरण में अनुदानों का ब्योरा उल्लेखित है। इसमें सामग्री के रूप में दिए गए सहायक अनुदान पर टिप्पणी भी शामिल है।

9. **सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण:** वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों द्वारा उगाहे गये कर्जो के पुनर्भुगतान इत्यादि के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों और वर्ष के अंत में ली गई गारंटी की बकाया राशि को इस विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

10. **मतदेय एवं भारित व्यय का विवरण:** यह विवरण सरकार के मतदेय एवं भरित व्ययों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करता है।

खण्ड 2 भाग II : इस भाग में **9 विवरणों** का समाविष्ट किया गया है, जो खण्ड I में विवरणों तथा खण्ड 2 के भाग I में विवरणों के सदृश, **लघु शीर्षवार** लेन-देनों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करता है।

11. **लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियां का विस्तृत विवरण:** यह विवरण सरकार के राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करता है।

12. **लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण:** यह विवरण सरकार के राजस्व व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करता है। गैर-योजना एवं योजना के आँकड़ों को अलग-अलग उद्धृत किया जाता है जिसे गत वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप में दर्शाया जाता है।

13. **पूंजीगत व्ययों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण सरकार के पूंजीगत व्ययों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करता है। गैर-योजना एवं योजना के आँकड़ों को अलग-अलग उद्धृत किया जाता है जिसे वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप में दर्शाया जाता है। वर्ष के अंत तक के संचित पूंजीगत व्यय को भी इस विवरण में दर्शाया जाता है।

14. **सरकार के निवेश संबंधी विस्तृत विवरण:** इस विवरण में चालू एवं गत वर्ष के लिए विभिन्न निकायों के हिस्सा-पूंजी और डिबेंचरों में किए गए सरकारी निवेश की स्थिति को दर्शाया जाता है। विवरण में हिस्सों के प्रकार, अंकित मूल्य, प्राप्त लाभांश इत्यादि को भी शामिल किया जाता है।

15. **उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण:** लघु शीर्षवार उधार का विवरण (सरकार द्वारा उगाहे गए बाजार कर्जे तथा भारत सरकार से प्राप्त कर्जे आदि), सभी कर्जो की परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान परिच्छेदिका को इस विवरण में उपलब्ध कराया जाता है। यह विस्तृत विवरण खण्ड 2 के भाग 1 में विवरण 6 के सदृश है।

16. **सरकार द्वारा दिए गए कर्जो तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण:** सरकार द्वारा दिए गए कर्जो तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण, कर्ज के शेषों में अन्तर, कर्जो को बट्टे खातों में डाले जाने, कर्जो पर ब्याज प्राप्ति, इत्यादि का ब्यौरा इस विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। यह योजना कर्जो को अलग से भी दर्शाता है। यह विस्तृत विवरण खण्ड 2 के भाग 1 के विवरण 7 के सदृश है।

17. **राजस्व लेखे से भिन्न व्यय हेतु निधियों, स्रोत तथा उपयोग पर विस्तृत विवरण:** पूंजी तथा अन्य व्यय (राजस्व लेखे से भिन्न) तथा व्यय के लिए निधि के स्रोतों का ब्यौरा इस विवरण में दर्शाया जाता है।

18. **आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखे के लेन-देनों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में हुए बदलाव, निधि में हुए विनियोजनों, व्ययों, राशि की भरपाई, इत्यादि को दर्शाता है। लोक लेखे में हुए लेन-देनों का विस्तृत ब्यौरे का भी उद्धरण इस विवरण में मिलता है।

19. **कर्णांकित निधियों के निवेश को दर्शानेवाला विस्तृत विवरण:** लोक लेखे में आरक्षित निधि से किए जाने वाले निवेशों के विस्तृत ब्यौरे को इस विवरण में दर्शाया जाता है।

खण्ड 2, भाग III वेतन, सब्सिडी, योजनावार एवं संस्थानवार सहायक अनुदान, बाह्य संपोषित योजनाओं का विस्तृत विवरण, वृहत केन्द्रीय योजनाओं एवं राज्य योजनागत योजनाओं आदि के संबंध में योजनावार व्यय पर **परिशिष्टों** का इसमें समावेश है। ये सभी ब्यौरे लेखे में उपशीर्षवार अथवा उससे नीचे (यथा लघु शीर्ष स्तर से नीचे) के स्तर पर मौजूद रहते हैं एवं इसलिये

इन्हें अलग से वित्त लेखें में नहीं दर्शाया जाता है। इसके विस्तृत सूची के लिए कृप्या खण्ड 1 अथवा 2 के सूचकांक का संदर्भ लें। परिशिष्टों के साथ पठित विवरण राज्य सरकार में अभिभावी राज्य की वित्त व्यवस्था का सम्पूर्ण तस्वीर प्रदान करता है।

ग. सुलभ गणक

विवरणों में क्या समाहित है, इसे शीघ्रता से जानने के लिए कृप्या निम्न तालिका का संदर्भ लें। महत्वपूर्ण मानकों से संबंधित संक्षिप्त एवं विस्तृत विवरण को नीचे उद्धृत किया गया है। नीचे उद्धृत परिशिष्टों की संख्या विस्तृत नहीं है।

मानक	संक्षिप्त विवरण (खण्ड 1)	विस्तृत विवरण (खण्ड 2)	परिशिष्ट (खण्ड 1 एवं 2)
राजस्व प्राप्तियाँ (प्राप्त अनुदानों सहित)	2, 3	11	
राजस्व व्यय	2, 4	12	II (वेतन) III (सब्सिडी)
सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान	2	8	IV
पूंजीगत प्राप्तियां	2, 3	11	
पूंजीगत व्यय	1, 2, 4	5, 13, 17	
सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम	1, 2, 7	16	
कर्ज की स्थिति/उधार	1, 2, 6	15	
कम्पनियों/निगमों आदि में सरकार का निवेश		14	
रोकड़	1, 2		I, VIII
लोक लेखा तथा उसमें किए गए निवेश का शेष	1, 2	18, 19	
गारंटी		9	
योजनाएं			V (बाह्य संपोषित परियोजनाएं) VI, VII

खाता समायोजन:

कुछ लेन-देन, खाता समायोजन की प्रकृति के होते हैं तथा वास्तविक रोकड़ लेन-देन, जैसा कि नीचे उद्धृत है, को नहीं दर्शाते हैं। विशेष ब्यौरा ''लेखे पर टिप्पणियाँ'' के रूप में तथा संबंधित विवरणों में पाद टिप्पणियों के रूप में उल्लेखित है।

(i) वेतन से सभी कटौतियों का समायोजन (सामान्य भविष्य निधि, दिये गये अग्रिमों की वापसियाँ आदि), कार्यात्मक मुख्य शीर्षों (संबंधित विभाग का) के नामे डालकर, राजस्व प्राप्तियों के रूप में खाता समायोजन किया जाता है (यथा सा०भ०नि० से भिन्न कटौतियाँ)/ लोक लेखा (यथा सा०भ०नि०)।

(ii) निधियों का सृजन/लोक लेखे में अंशदान का निधियों में समायोजन समेकित निधियों के नामे द्वारा किया जाता है यथा, आपदा राहत निधि, आरक्षित निधियाँ, निक्षेप निधि इत्यादि।

(iii) लोक लेखे में ''जमा'' लेखा शीर्षो को ''जमा'' तथा समेकित निधि को ''नामे'' दर्शाया जाता है।

(iv) सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का वार्षिक समायोजन तथा राज्य सरकार सामूहिक बीमा योजना, जहाँ राज्य सरकार के सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन, ''2049-ब्याज अदायगियाँ'' को नामे तथा 8009-राज्य भविष्य निधि को जमा के द्वारा किया जाता है।

(v) अनिवार्य समायोजनों जैसे कि ''ऋण शोधन योजना'' का समायोजन वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार स्वीकृत किया जाता है। यह दोनों ''राजस्व प्राप्तियां'' एवं लोक ऋण शीर्षो को प्रभावित करता है, जहाँ 0075- विविध सामान्य सेवाएं को जमा तथा '6004- केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम' को ''प्रति इन्दराज'' के द्वारा केन्द्रीय कर्जो को माफ किया जाता है।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण

	परिसम्पतियां [1]	संदर्भ (क्रम संख्या) लेखे पर टिप्पणियां	विवरणी	31 मार्च 2011 तक	31 मार्च 2012 तक
				(करोड़ रूपयों में)	
रोकड़					
(i)	कोषागारों में रोकड़ और स्थानीय प्रेषण			...	...
(ii)	विभागीय शेष		18	11.68	18.48
(iii)	स्थायी अग्रदाय		18	0.11	0.11
(iv)	रोकड़ शेष निवेश		18	8,79.19	4.41
(v)	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा (यदि शेष जमा हो तो घटाव चिन्ह दें।)	परिच्छेद 4	18	-8,91.39	93.85
(vi)	उद्धिष्ट निधियों के निवेश [2]		19	...	...
	पूंजीगत व्यय				
(i)	कम्पनियों, निगमों के शेयर में निवेश		14	54.07	1,01.86
(ii)	अन्य पूंजीगत व्यय		13	1,83,17.48	2,14,29.06
(iii)	अन्तर्राज्यीय समायोजन			...	75.40
	आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)			...	...
	कर्ज और पेशगियां	परिच्छेद 16	7,16	69,96.47	71,90.15
	विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम		18	9.38	12.14
	उचंत और विविध शेष [3]	परिच्छेद 20	18	...	...
	प्रेषण शेष		18	2,87.30	2,70.17
	प्राप्तियों से अधिक इकट्ठा खर्च [4]			31,46.47	16,96.61
	जोड़			**2,88,10.76**	**3,08,92.24**

[1] परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े इकट्ठे हैं। कृपया अनुभाग ''लेखे पर टिप्पणियां'' का नोट 1(ii) भी देखें।

[2] उद्धिष्ट निधियों में से किए गए कम्पनियों आदि के हिस्सा पूंजी में किए गए निवेश को पूंजीगत परिव्यय में न दर्शा कर ''उद्धिष्ट निधियों से किए गए निवेशों'' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

[3] इस विवरणी में लाईन मद ''उचंत एवं विविध शेष'' में ''रोकड़ शेष निवेश लेखा'' को शामिल न कर उसे उपर अलग से दिखाया गया है। यद्यपि यह इसी खण्ड में इन लेखाओं में अन्यत्र शामिल किया गया है।

[4] अधिक व्यय से संचयी अधिक प्राप्तियाँ अथवा प्राप्तियों से अधिक व्यय इस वर्ष का राजकोषीय/राजस्व घाटा नहीं है, यह इससे अलग है। दिनांक 31.03.2012 के आँकड़े में ₹ 20.61 करोड़ जो 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय के॰प्रा॰यो॰ एवं के॰यो॰यो॰ के अपलेखन एवं ₹ 1.39 करोड़ अन्तर्राज्जीय समाशोधन से संबंधित है, सम्मिलित है।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण-क्रमांत

दायित्व		संदर्भ (क्रम संख्या) लेखे पर टिप्पणियां	विवरणी	31 मार्च 2011 तक	31 मार्च 2012 तक
				(करोड़ रूपयों में)	
उधार ली गई राशि (लोक ऋण)					
(i)	आंतरिक ऋण		15	2,11,31.39	2,22,85.78
(ii)	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम				
(क)	योजनेतर कर्ज		15	12.06	8.79
(ख)	राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज		15	21,18.67	20,15.62
(ग)	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज		15	1.24	(*)
(घ)	केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज		15	19.36	(*)
(ड़)	अन्य कर्ज		15	15.87	(*)
(iii)	अन्तर्राज्यीय समायोजन			1.39	...
	आकस्मिकता निधि (स्थाई काया)		18	1,50.00	1,50.00
	लोक लेखा का दायित्व				
(i)	अल्प बचत, भविष्य निधियां आदि		18	14,58.06	15,27.70
(ii)	जमा		18	33,50.17	43,82.78
(iii)	आरक्षित निधियां	परिच्छेद 22	18	5,48.22	4,43.10
(iv)	प्रेषण शेष			...	...
(v)	उचंत और विविध शेष	परिच्छेद 20	18	4.33	78.47
	खर्च से अधिक इकट्ठा प्राप्तियाँ				
	जोड़			**2,88,10.76**	**3,08,92.24**

(*) केन्द्रीय सरकार से कर्जे तथा अग्रिम (6004) के अन्तर्गत अन्त:शेष को 13वीं वित्त आयोग की अनुशंसा पर निरस्त किया गया। पूर्ण विवरण के लिए कृप्या विवरण संख्या 15 का अवलोकन करें।

2. प्राप्तियां एवं संवितरण का विवरण

प्राप्तियां	2011-12	2010-11	संवितरण	2011-12	2010-11
		भाग-1 समेकित निधि			
		अनुभाग - अः राजस्व			
राजस्व प्राप्तियां	*(करोड़ रूपयों में)*		**राजस्व व्यय**	*(करोड़ रूपयों में)*	
राज्य का निजी राजस्व	**99,92.11**	**85,19.52**			
(i) कर राजस्व (राज्य द्वारा उगाहा गया)	69,53.89	57,16.63	वेतन[1]	63,05.57	55,78.98
(ii) करेतर राजस्व(राज्य द्वारा उगाहा गया)			अनुदान[2]	45,17.42	31,14.71
			सब्सिडी	2,86.38	80.44
ब्याज प्राप्तियां	44.16	98.74	**सामान्य सेवाएं**		
अन्य	29,94.06	27,04.15	ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा	22,67.08	22,27.54
			पेंशन	22,96.69	20,81.10
			अन्य	7,96.22	6,26.28
कुल (ii) करेतर राजस्व	**30,38.22**	**28,02.89**	**कुल- सामान्य सेवाएं**	**53,59.99**	**49,34.92**
			सामाजिक सेवाएं	25,97.73	26,38.61
संघ कर का हिस्सा	71,69.93	61,54.35	**आर्थिक सेवाएं**	19,24.49	15,96.90
केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान	52,57.41	41,07.25	**क्षतिपूर्ति एवं स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को समनुदेशन**	...	0.17
कुल राजस्व प्राप्तियां	**2,24,19.45**	**1,87,81.12**	**कुल- राजस्व व्यय**	**2,09,91.58**	**1,79,44.73**
राजस्व घाटा	...	...	**राजस्व अधिशेष**	**14,27.87**	**8,36.39**
		अनुभाग - बःपूंजीगत			
पूंजीगत प्राप्तियां			**पूंजीगत परिव्यय [3]**		
			सामान्य सेवाएं	1,55.56	1,20.04
			सामाजिक सेवाएं	8,66.31	6,81.89
			आर्थिक सेवाएं [4]	21,37.50	18,62.38
कुल पूंजीगत प्राप्तियां			**कुल पूंजीगत परिव्यय**	**31,59.37**	**26,64.31**

[1] वेतन, सबसिडी एवं सहायता अनुदान के आंकड़ों का एक समेकित आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए सभी खण्डों के आंकड़ों को जोड़ दिया गया है। इस विवरणी में ''सामाजिक'' ''सामान्य'' एवं ''आर्थिक'' सेवाओं में दिए गए व्यय के आंकड़ों में वेतन, सबसिडी एवं सहायता अनुदान की राशि सम्मिलित नहीं है। (पाद टिप्पणी- 2 में स्पष्ट किया गया है)

[2] सरकार द्वारा सहायता अनुदान विविधक निगमों, कम्पनियों, स्वायत निकायों, स्थानीय निकायों, आदि को दिए जाते हैं जिन्हें एक लाईन मद में उपर दर्शाया गया है। ये अनुदान स्थानीय निकायों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति एवं करों, शुल्कों का समनुदेशन से भिन्न है तथा एक अलग लाईन मद ''स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन'' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

[3] वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए पूंजीगत परिव्यय के अतंर्गत व्यय में 'सहायक अनुदान' के रूप में क्रमशः ₹ 7.00 करोड़ एवं ₹ 12.81 करोड़ शामिल है।

[4] वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अतंर्गत व्यय में मुख्य शीर्षो '4515', '5054' एवं '5452' के अधिन 'वेतन' के रूप में क्रमशः ₹ 62.69 करोड़ एवं ₹ 46.53 करोड़ शामिल है। सहायक अनुदान खर्च में ''सर्व शिक्षा अभियान'' के अंतर्गत ₹ 2,20.00 करोड़ तथा ₹ 3,37.00 करोड़ एवं ''मध्यान्ह भोजन'' में ₹ 2,64.00 करोड़ तथा ₹ 1,42.00 करोड़ तथा इंदिरा आवास योजना में ₹ 1,82.00 करोड़ तथा ₹ 1,05.00 करोड़ तथा मनरेगा में क्रमशः ₹ 78.00 करोड़ एवं ₹ 1,17.00 करोड़ की खर्च की राशि वर्ष 2010-2011 तथा 2011-2012 में सम्मिलित नहीं है क्योंकि राज्य के आय-व्ययक में ये खर्च सहायक अनुदान के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं था।

2. प्राप्तियां एवं संवितरण का विवरण-क्रमांत

प्राप्तियां			संवितरण		
	2011-12	**2010-11**		**2011-12**	**2010-11**
		भाग-1 समेकित निधि			
		अनुभाग - अः राजस्व			
	(करोड़ रूपयों में)			*(करोड़ रूपयों में)*	
कर्ज एवं पेशगियाँ की वापसी	23.42	24.12	**दिए गए कर्ज एवं उधार**		
			सामान्य सेवाएं	12.40	14.88
			आर्थिक सेवाएं	1,86.60	2,81.05
			अन्य	18.10	11.63
कुल कर्ज एवं पेशगियाँ की वापसी	**23.42**	**24.12**	**कुल दिए गए कर्ज एवं उधार**	**2,17.10**	**3,07.56**
लोक ऋण प्राप्तियां			**लोक ऋण का पुर्नभुगतान**		
आन्तरिक ऋण (बाजार कर्ज, राष्ट्रीय अल्प बचत निधियाँ आदि)	26,38.70	23,14.56	आन्तरिक ऋण (बाजार कर्ज, राष्ट्रीय अल्प बचत निधियाँ आदि)	14,84.31	10,63.18
भारत सरकार से कर्ज	32.53	1,31.95	भारत सरकार से कर्ज	1,54.71	2,36.25
कुल लोक ऋण प्राप्तियां	**26,71.23**	**24,46.51**	**कुल लोक ऋण का पुर्नभुगतान**	**16,39.02**	**12,99.43**
अन्तर्राज्यीय परिशोधन का निवल	...	1.39	अन्तर्राज्यीय परिशोधन का निवल	75.40	...
कुल पूंजीगत प्राप्तियां	**26,94.65**	**24,72.02**	**कुल पूंजीगत परिव्यय**	**50,90.89**	**42,71.30**
कुल प्राप्तियां समेकित निधि	**2,51,14.10**	**2,12,53.14**	**कुल व्यय समेकित निधि**	**2,60,82.47**	**2,22,16.03**
समेकित निधि में कमी	**9,68.37**	**9,62.89**	**समेकित निधि में अधिशेष**	...	...
		भाग- II आकस्मिकता निधि			
आकस्मिकता निधि	...	...	**आकस्मिकता निधि**	...	...
		भाग- III लोक लेखा [5]			
अल्प बचत	6,13.38	5,71.73	**अल्प बचत**	5,43.74	4,67.08
आरक्षित एवं शोधन निधियां	1,38.58	0.31	**आरक्षित एवं शोधन निधियां**	2,43.71	2,23.50
जमा	51,38.27	35,58.07	**जमा**	41,05.66	30,96.57
पेशगियां	97.38	1,11.72	**पेशगियां**	1,00.14	1,09.37
उचंत एवं विविध [6]	2,39,15.76	4,57,50.87	**उचंत एवं विविध** [6]	2,29,73.65	4,52,78.08
प्रेषण	45,20.03	32,98.20	**प्रेषण**	45,02.89	32,91.70
कुल प्राप्तियों लोक लेखा	**3,44,23.40**	**5,32,90.90**	**कुल व्यय लोक लेखा**	**3,24,69.79**	**5,24,66.30**
लोक लेखा में कमी	**...**	**...**	**लोक लेखा में अधिशेष**	**19,53.61**	**8,24.60**
अथ रोकड़ शेष	**-8,91.39**	**-7,53.10**	**अंत रोकड़ शेष**	**93.85**	**-8,91.39**
रोकड़ शेष में वृद्धि	**9,85.24**		**रोकड़ शेष में कमी**	**...**	**-1,38.29**

[5] विस्तृत ब्योरे के लिए कृपया जिल्द II में विवरणी 18 देखें।

[6] ''उचंत एवं विविध'' में ''अन्य लेखे'' जैसे रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि शामिल है। इन अन्य लेखों के आंकड़ों के चलते आंकड़े बहुत बड़ा दिखता है। विस्तृत ब्योरे कृपया विवरणी 18 में देखा जाए।

3. प्राप्तियों का विवरण
(समेकित निधि)

	विवरण	वास्तविक 2011-12	वास्तविक 2010-11
		(करोड़ रूपयों में)	
	I – समेकित निधि		
क	**कर राजस्व**		
क 1	**निजी कर राजस्व**		
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	55,22.02	44,73.43
	राज्य उत्पाद शुल्क	4,57.08	3,88.34
	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	4,01.17	3,28.35
	वाहन कर	3,91.92	3,12.37
	विद्युत कर तथा शुल्क	72.76	53.50
	भू–राजस्व	52.94	130.65
	माल तथा यात्री कर	40.96	21.08
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	15.04	8.91
क 2	**करो के निवल आगमों का हिस्सा**		
	निगम कर	28,22.18	24,05.55
	आय पर निगम कर से भिन्न कर	14,33.54	12,71.19
	सीमा शुल्क	12,43.16	10,76.17
	सेवा कर	8,55.72	7,82.88
	संघ उत्पाद शुल्क	8,04.44	6,13.63
	धन कर	10.89	4.93
	जोड़ क	**1,41,23.82**	**1,18,70.98**
ख	**करेतर राजस्व**		
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	26,62.79	20,55.90
	ब्याज प्राप्तियां	44.16	98.74
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	35.11	19.17
	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	28.19	14.24
	श्रम तथा रोजगार	27.96	19.27
	सड़क तथा सेतु	26.67	20.16
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	26.12	12.89
	मध्यम सिंचाई	21.67	29.52
	मुख्य सिंचाई	18.86	7.08
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	17.01	21.52
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	15.42	23.85
	विविध सामान्य सेवाएं	14.89	2,65.63
	सहकारिता	14.28	0.91

3. प्राप्तियों का विवरण-क्रमशः
(समेकित निधि)

	विवरण	वास्तविक 2011-12	2010-11
		(करोड़ रूपयों में)	
	I – समेकित निधि- क्रमशः		
ख	**करेतर राजस्व-क्रमांत**		
	फसल कृषि-कर्म	11.63	3.47
	जल पूर्ति तथा सफाई	11.59	8.74
	पुलिस	10.53	12.01
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	8.93	9.37
	अन्य सामाजिक सेवाएं	5.85	40.76
	उद्योग	3.73	34.37
	वानिकी तथा वन्य जीवन	3.71	4.76
	मछली पालन	3.59	2.47
	ग्राम तथा लघु उद्योग	3.59	0.97
	लोक सेवा आयोग	3.32	1.44
	सड़क परिवहन	3.11	...
	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभों का अंशदान तथा वसूलियां	2.50	3.41
	जेल	2.30	2.91
	सिविल पूर्ति	2.22	0.60
	लघु सिंचाई	2.10	2.63
	लोक निर्माण कार्य	1.82	2.18
	पशुपालन	1.62	1.04
	अंशदान तथा लाभांश	1.17	0.40
	आवास	0.89	0.78
	अन्य कृषि कार्यक्रम	0.28	0.11
	पर्यटन	0.17	79.52
	उर्जा	0.15	...
	नागर विमानन	0.12	1.03
	डेरी विकास	0.11	0.78
	परिवार कल्याण	0.04	0.05
	शहरी विकास	0.01	0.03
	सूचना तथा प्रचार	0.01	...
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	...	0.09
	आपूर्ति तथा निस्तारण	...	0.09
	जोड़ ख	**30,38.22**	**28,02.89**

3. प्राप्तियों का विवरण-क्रमशः
(समेकित निधि)

अनुदान	वास्तविक 2011-12	2010-11
	(करोड़ रूपयों में)	
II – भारत सरकार से प्राप्त अनुदान		
(ग) केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान योजनेतर अनुदान		
संविधान के अन्तर्गत अनुदान (राजस्व आर्डर का विवरण)	...	...
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अन्तर्गत अनुदान	10,78.28	6,66.36
राज्य आपदा दायित्व निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान	1,02.16	...
राष्ट्रीय बिपत्तियों के कारण आकस्मिक निधि के अन्तर्गत अनुदान	...	5,12.00
अन्य अनुदान	3,70.33	1,03.04
राज्य/संघक्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान		
ब्लॉक अनुदान जिसका (बा॰ सं॰ यो॰ से सम्बन्धित)	17,93.73	8,11.76
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अन्तर्गत अनुदान	1,98.85	1,74.86
केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	16.28	40.88
अन्य अनुदान	3,95.75	7,99.49
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	66.87	8.62
केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	12,35.16 (*)	9,90.24
विशेष योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	...	...
जोड़ ग	**52,57.41**	**41,07.25**
जोड़ राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग)	**2,24,19.45**	**1,87,81.12**

(*) वर्ष 2011-12 के दौरान पशुपालन के कुक्कुट विकास से संबंधित ₹ 52.50 लाख (2001-02 के लिए ₹ 35.78 लाख तथा 2002-03 के लिए ₹ 16.72 लाख) की वापसी की गई।

३. प्राप्तियों का विवरण–क्रमांत
(समेकित निधि)

	विवरण	वास्तविक 2011-12	वास्तविक 2010-11
		(करोड़ रूपयों में)	
	III – पूंजी, लोक ऋण एवं प्राप्तियाँ		
घ	**पूंजी प्राप्तियाँ** **विनिवेश**	...	...
	अन्य	...	...
	जोड़ घ	...	...
ङ	**लोक ऋण प्राप्तियाँ**		
	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण		
	बाजार कर्ज	12,54.05	8,70.79
	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज	6,50.99	1,98.11
	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	8.33	17.83
	अन्य संस्थाओं से कर्ज	2,14.66	...
	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	2,81.48	12,27.83
	अर्थोपाय पेशगियां	2,29.19	...
	केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		
	योजनेतर कर्ज	...	...
	राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	32.53	1,31.88
	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	...	0.03
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के जिए कर्ज	...	0.04
	अन्य कर्ज	...	...
	जोड़ ङ	**26,71.23**	**24,46.51**
च	**राज्य सरकार के द्वारा कर्ज तथा अग्रिमों की (वसूलियाँ) [1]**	**23.42**	**24.12**
छ	**अंतर्राज्यीय परिशोधन**	**...**	**1.39**
	कुल प्राप्तियाँ समेकित निधि (क+ख+ग+घ+ ङ+च+छ)	**2,51,14.10**	**2,12,53.14**

[1] द्वितीय खंड के विवरण संख्या 7 एवं विवरण संख्या 16 में विस्तृत विवरण देखें।

4. व्यय विवरणी
(समेकित निधि)

	विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
				(करोड़ रुपयों में)	
	क–कार्यात्मक व्यय				
क	**सामान्य सेवाएँ**				
क 1	**राज्य के अंग**				
	संसद / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	41.71	...	...	41.71
	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	5.90	...	...	5.90
	मंत्री परिषद	8.18	...	...	8.18
	न्याय प्रशासन	1,98.52	...	...	1,98.52
	निर्वाचन	29.81	...	...	29.81
क 2	**राजकोषीय सेवाएँ**				
	भू–राजस्व	1,59.99	...	...	1,59.99
	स्टाम्प एवं पंजीकरण	11.36	...	...	11.36
	राज्य उत्पाद शुल्क	15.95	...	...	15.95
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	50.20	...	...	50.20
	वाहन कर	5.10	...	...	5.10
	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0.49	...	...	0.49
	अन्य राजकोषीय सेवाएँ	2.37	5.00	...	7.37
	ब्याज अदायगियाँ	22,67.08	...	...	22,67.08
क 3	**प्रशासनिक सेवाएँ**				
	लोक सेवा आयोग	5.01	...	...	5.01
	सचिवालय - सामान्य सेवाएं	55.13	...	...	55.13
	जिला प्रशासन	3,31.57	...	...	3,31.57
	खजाना एवं लेखा प्रशासन	16.33	...	...	16.33
	पुलिस	20,98.71	105.19	...	22,03.90
	जेल	76.95	...	...	76.95
	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	1.85	...	...	1.85
	लोक निर्माण कार्य	78.46	44.33	...	1,22.79
	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	88.20	1.04	...	89.24

4. व्यय विवरणी-क्रमशः
(समेकित निधि)

	विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
					(करोड़ रुपयों में)
	क-कार्यात्मक व्यय-क्रमशः				
क	**सामान्य सेवाएँ-क्रमांत**				
क 4	**पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएँ**				
	पेंशन एवं अन्य सेवा निवृति लाभ	22,96.69	...	...	22,96.69
	जोड़ सामान्य सेवाएँ	**78,45.56**	**1,55.56**	...	**80,01.12**
ख	**सामाजिक सेवाएँ**				
ख 1	शिक्षा, खेलकुद, कला एवं संस्कृति				
	सामान्य शिक्षा	39,80.57	75.98	...	40,56.55
	तकनीकी शिक्षा	41.26	...	...	41.26
	खेलकुद एवं युवा सेवाएँ	29.48	...	...	29.48
	कला एवं संस्कृति	4.59	...	...	4.59
ख 2	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	7,56.57	1,63.53	...	9,20.10
	परिवार कल्याण	69.08	...	...	69.08
ख 3	जल पूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास				
	जल पूर्ति एवं सफाई	3,39.58	2,41.26	...	5,80.84
	आवास	23.11	5.25	1.00	29.36
	शहरी विकास	1,06.03	1,76.09	11.40	2,93.52
ख 4	सूचना एवं प्रसारण				
	सूचना तथा प्रचार	47.66	...	...	47.66
ख 5	अनुसूचित जातियों/जन-जातियो एवं अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण				
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	6,23.99	2,04.20	...	8,28.19
ख	**सामाजिक सेवाएँ-क्रमांत**				
ख 6	श्रमिक एवं श्रम कल्याण				
	श्रम तथा रोजगार	1,27.44	...	...	1,27.44
ख 7	समाज कल्याण तथा पोषण				
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	8,10.43	...	...	8,10.43
	पोषण	3,33.55	...	...	3,33.55
	प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	-24.35	...	...	-24.35

4. व्यय विवरणी-क्रमशः
(समेकित निधि)

	विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
					(करोड़ रुपयों में)
	क-कार्यात्मक व्यय-क्रमशः				
ख 8	अन्य				
	अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.44	...	...	0.44
	सचिवालय - सामाजिक सेवाएँ	17.60	...	...	17.60
	जोड़ सामाजिक सेवाएँ	**72,87.03**	**8,66.31**	**12.40**	**81,65.74**
ग	**आर्थिक सेवाएँ**				
ग 1	कृषि एवं संबंद्ध कार्यकलाप				
	फसल कृषि कर्म	3,03.70	14.00	...	3,17.70
	मृदा एवं जल संरक्षण	25.82	...	...	25.82
	पशुपालन	1,07.75	...	...	1,07.75
	डेरी विकास	60.82	...	...	60.82
	मछलीपालन	37.56	2.70	...	40.26
	वानिकी एवं वन्य जीवन	2,18.29	12.50	...	2,30.79
	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	84.75	...	...	84.75
	सहकारिता	1,38.48	26.08	19.95	1,84.51
	अन्य कृषि कार्यक्रम	3.44	...	...	3.44
ग 2	ग्राम विकास				
	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	66.60	...	...	66.60
	ग्राम रोजगार	2,32.83	...	...	2,32.83
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	13,89.17	8,49.88	1.70	22,40.75
ग	**आर्थिक सेवाएँ-क्रमांत**				
ग 3	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण				
	मूख्य सिंचाई	1,02.38	79.71	...	1,82.09
	मध्यम सिंचाई	1,17.52	85.97	...	2,03.79
	लघु सिंचाई	62.02	2,17.77	...	2,79.79
	आदेश क्षेत्र विकास	0.17	15.86	...	16.03
ग 4	उर्जा				
	बिजली	8,24.83	...	164.95	9,89.78
	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	35.00	...	...	35.00

4. व्यय विवरणी-क्रमशः
(समेकित निधि)

	विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
				(करोड़ रुपयों में)	
	क-कार्यात्मक व्यय-क्रमांत				
ग 5	उद्योग तथा खनिज				
	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	1,07.46	...	...	1,07.46
	उद्योग	86.34	...	...	86.34
	अलौह खनन और धातु कर्म उद्योग	17.36	...	...	17.36
ग 6	परिवहन				
	नगर विमानन	66.67	...	...	66.67
	सड़क एवं सेतु	2,77.21	7,96.66	...	10,73.87
	सड़क परिवहन	35.86	3.19	...	39.05
	अन्य परिवहन सेवाएँ	4,50.25	...	...	4,50.25
ग 7	सामान्य आर्थिक सेवाएँ				
	सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	24.77	...	...	24.77
	पर्यटन	7.06	18.42	...	25.48
	जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	16.74	...	...	16.74
	सिविल पूर्ति	9,54.95	...	...	9,54.95
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	3.20	14.75	...	17.95
	कुल आर्थिक सेवाएँ	**58,59.00**	**21,37.49**	**1,86.60**	**81,83.09**
घ	**ऋण, सहायता अनुदान एवं अंशदान**				
	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	...	...	...	...
ङ	**सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज**				
	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज	...	...	18.10	18.10
च	**लोक ऋण**				
	राज्य सरकार का आतंरिक ऋण	...	14,84.31	...	14,84.31
	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	...	1,54.71	...	1,54.71
छ	**अंर्तराज्यीय परिशोधन**				
	अंर्तराज्यीय परिशोधन	...	...	75.40	75.40
	कुल ऋण, सहायता अनुदान एवं अंशदान	**...**	**16,39.02**	**93.50**	**17,32.52**
	जोड़ व्यय समेकित निधि	**2,09,91.59**	**47,98.38**	**2,92.50**	**2,60,82.47**

4. व्यय विवरणी समेकित निधि - क्रमशः

(समेकित निधि)

व्यय का उद्देश्य	2009-10 राजस्व	पूंजी	कुल	2010-11 राजस्व	पूंजी	कुल	2011-12 राजस्व	पूंजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ख. व्यय की प्रकृति						*(करोड़ रूपये में)*
वेतन	52,88.51	53.03	**53,41.54**	55,78.98	62.69	**56,41.67**	63,05.58	46.53	**63,52.11**
सहायक अनुदान (गैर वेतन)(क)							26,12.87		**26,12.87**
मुख्य कार्य (राज्य योजना)	54.48	11,74.73	**12,29.21**	1,21.35	13,76.39	**14,97.74**	2,50.11	20,59.69	**23,09.80**
पेंशन प्रभार	16,80.83	...	**16,80.83**	20,81.10	...	**20,81.10**	22,96.69	...	**22,96.69**
ब्याज अदायगियां	23,07.45	...	**23,07.45**	22,27.54	...	**22,27.54**	22,67.08	...	**22,67.08**
सहायक अनुदान (वेतन)	...	...	**...**	...	...	**...**	16,66.55	...	**16,66.55**
उधार का पुर्नभुगतान	...	11,90.21	**11,90.21**		12,99.43	**12,99.43**		16,39.02	**16,39.02**
आपूर्ति एवं सामग्रियाँ	...	...	...	9,88.87	40.29	**10,29.16**	12,44.16	38.43	**12,82.59**
राज्य अंशदान (ख)	11,35.40	1,50.86	**12,86.26**	11,55.11	1,32.91	**12,88.02**	8,96.74	3,03.87	**12,00.61**
अन्य व्यय	...	...	...	9,46.74	5,48.09	**14,94.83**	7,53.46	4,45.61	**11,99.07**
केन्द्रांश	84.18	76.84	**1,61.02**	3,76.39	16.70	**3,93.09**	2,35.04	1,03.96	**3,39.00**
अनुरक्षण एवं मरम्मति	1,55.96	21.31	**1,77.27**	1,86.39	18.21	**2,04.60**	2,76.80	21.41	**2,98.21**
सबसिडी	40.88	...	**40.88**	80.44	...	**80.44**	2,86.38	...	**2,86.38**
अनुशंसित राशि	...	...	...	1,00.57	1,00.91	**2,01.48**	2,66.80	...	**2,66.80**
लघु कार्य	1,74.68	1,29.74	**3,04.42**	2,18.74	74.75	**2,93.49**	1,91.39	73.51	**2,64.90**
छात्रवृति/वृति	1,31.98	...	**1,31.98**	1,37.01	12.73	**1,49.74**	2,26.40	21.70	**2,48.10**
एक मुश्त	...	...	...	...	...	...	2,44.25	...	**2,44.25**
पूंजी परिसम्पतियों के लिए सहायक अनुदान (क)	...	...	...	...	...	...	2,38.00	...	**2,38.00**
ऋण एवं अग्रिम	...	3,19.98	**3,19.98**	...	3,07.56	**3,07.56**	...	2,17.10	**2,17.10**
व्यवसायिक सेवाएं	50.23	...	**50.23**	40.31	...	**40.31**	2,09.40	...	**2,09.40**
नकद राहत	...	...	...	1,00.26	...	**1,00.26**	1,45.42	...	**1,45.42**
अंशदान	64.70	99.54	**1,64.24**	83.27	3,04.36	**3,87.63**	75.27	46.81	**1,22.08**
कार्यालय व्यय	10,42.00	...	**10,42.00**	64.49	...	**64.49**	82.06	...	**82.06**
यात्रा व्यय	91.96	...	**91.96**	60.49	...	**60.49**	74.53	...	**74.53**
मजदुरी	70.88	...	**70.88**	73.76	...	**73.76**	63.87	...	**63.87**
मशीन एवं उपस्कर	26.75	...	**26.75**	42.38	13.43	**55.81**	49.43	...	**49.43**

(क) सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन, इंदिरा आवास योजना में व्यय सहायक अनुदान में शामिल नहीं है चुंकि व्यय को सहायक अनुदान के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है।

(ख) राज्य अंशदान में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पर हुआ व्यय शामिल है।

4. व्यय विवरणी समेकित निधि - क्रमांत

(समेकित निधि)

व्यय का उद्देश्य	2007-08 राजस्व	2007-08 पूंजी	2007-08 कुल	2008-09 राजस्व	2008-09 पूंजी	2008-09 कुल	2009-10 राजस्व	2009-10 पूंजी	2009-10 कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ख. व्यय की प्रकृति-क्रमांत					(करोड़ रूपये में)
संविदा भत्ता	...	...	...	37.27	...	**37.27**	48.85	...	**48.85**
मोटर गाड़ी	48.89	...	**48.89**	46.16	...	**46.16**	46.22	...	**46.22**
बिजली व्यय	44.40	...	**44.40**	1,43.17	...	**1,43.17**	45.88	...	**45.88**
विज्ञापन एवं प्रचार	17.50	...	**17.50**	15.83	...	**15.83**	43.06	...	**43.06**
अन्य प्रशासनिक व्यय	1,77.81	...	**1,77.81**	10.45	...	**10.45**	23.78	...	**23.78**
वर्दी	17.72	...	**17.72**	16.08	...	**16.08**	23.18	...	**23.18**
मेडिकल स्टोर आपूर्ति	21.69	...	**21.69**	35.24	...	**35.24**	19.85	...	**19.85**
निवेश	2.45	13.81	**16.26**	...	...	**...**	...	17.50	17.50
नई मोटर गाड़ी का क्रय	...	...	...	15.68	...	**15.68**	13.48	...	**13.48**
प्रशिक्षण भत्ता	...	...	...	...	...	...	12.74	...	**12.74**
सहायक अनुदान (क)	21,06.10	2,26.84	**23,32.94**	31,14.71	7.00	**31,21.71**	...	...	...
मानदेय	...	...	...	1,49.39	...	**1,49.39**	...	...	...
अन्य अनुबंधित सेवाएं	...	...	...	99.25	...	**99.25**	...	...	...
खेल प्रोत्साहन	...	...	...	48.87	...	**48.87**	...	...	...
प्रशिक्षण व्यय	...	...	...	17.24	...	**17.24**	...	...	...
आर्थिक सहायता	75.26	...	**75.26**	...	...	...	...	...	...
अन्य (प्रत्येक वस्तु शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 10 करोड़ से कम व्यय शामिल है)	4,73.86	8,18.18	**12,92.04**	65.50	8.74	**74.24**	25.18	70.80	**95.98**
सकल व्यय	**1,53,86.55**	**42,75.07**	**1,96,61.62**	**1,84,79.03**	**43,24.19**	**2,28,03.22**	**2,12,60.50**	**51,05.94**	**2,63,66.44**
घटाएं-वापसियां	2,58.31	61.84	3,20.15	5,34.30	52.89	5,87.19	2,68.91	15.06	2,83.97
निवल व्यय	**1,51,28.24**	**42,13.23**	**1,93,41.47**	**1,79,44.73**	**42,71.30**	**2,22,16.03**	**2,09,91.59**	**50,90.88**	**2,60,82.47**

लेखे पर टिप्पणियाँ

1. **लेखाकरण नीतियों के अभिप्राय का सारांश:**

   (i) **विद्यमानता और लेखाकरण अवधि:** ये लेखे झारखण्ड सरकार के 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक के लेन–देनों को प्रस्तुत करता है।

   (ii) **लेखाकरण का आधार :** कुछ खाता समायोजनों **(लेखे पर टिप्पणियाँ की मद सं॰ 27)** को छोड़कर ये लेखे लेखा अवधि के दौरान हुए वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करता है। सम्पतियों का मूल्यांकन ऐतिहासिक मूल्यों पर किया गया है तथा सरकारी निवेश इत्यादि को ऐतिहासिक मूल्यों पर दर्शाया गया है। भौतिक परिसम्पतियों का अवमूल्यन या परिशोधन नहीं किया गया है। भौतिक परिसम्पत्तियों के जीवनकाल के अंत में हुई हानियों को भी व्ययित या मान्यता नहीं दी गई है।

   सरकार के पेंशन दायित्वों जैसे कि अपने कर्मियों को वर्त्तमान तथा भूतपूर्व सेवाओं के लिए सेवानिवृति हितलाभ को लेखे में शामिल नहीं किया गया है। यद्यपि लेखा अवधि के दौरान वितरित सेवानिवृति हितलाभों को लेखे में दर्शाया गया है।

   वर्ष के दौरान राज्य सरकार के कर्मियों को पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति हितलाभ में ₹ 22,96.69 करोड़ व्यय हुआ (कुल राजस्व व्यय का 10.94 प्रतिशत)। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा 01.12.2004 से प्रभावित भर्तियाँ अंशदायी पेंशन योजना के पात्र हैं। राज्य सरकार ने एक समझौता किया, जिसके तहत कर्मियों के अंशदान तथा नियोजक के अंशदान को एन.एस.डी.एल./ट्रस्ट बैंक को जमा किया जाना है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार के द्वारा ₹ 1,25.72 करोड़ एन.एस.डी.एल./ट्रस्ट बैंक में जमा किया गया, जिसमें ₹ 66.74 करोड़ मुख्य शीर्ष ''8342–अन्य जमा, 117–सरकारी कर्मचारियों के लिए निरूपित अंशदान पेंशन योजना'' कर्मचारियों के अंशदान के रूप में ₹ 58.98 करोड़ नियोजक के अंशदान के रूप में मुख्य शीर्ष 2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति हितलाभ के अंतर्गत जमा किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2012 को राज्य सरकार का दायित्व ''8342- अन्य जमा, 117 सरकारी कर्मचारियों के लिए निरूपित अंशदान पेंशन योजना'' में ₹ 16.71 करोड़ आता है।

   (iii) **मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते हैं :** सरकार के लेखे भारतीय रूपया में संधारित किया जाता है।

   (iv) **लेखे का फार्म :** संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत, संघ तथा राज्यों के लेखे को वैसे फार्म में रखा जाता है, जिसे राष्ट्रपति एवं भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के सलाह पर निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 150 में शब्द 'फार्म' का व्यापक अर्थ, लेखे को रखे जाने वाले विस्तृत फार्म का निर्धारण ही नहीं, बल्कि लेन देनों के वर्गीकरण के तहत उचित शीर्षो के चुनाव के आधार के लिए भी व्यवहृत होता है।

   (v) **राजस्व तथा पूंजी के बीच वर्गीकरण :** राजस्व व्यय, आवर्ती प्रकृति तथा राजस्व प्राप्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यय का माना जाता है। पूंजीगत व्यय निर्धारण वैसे व्यय से किया जाता है, जो कि एक द्रव्य के बढ़ते हुए ठोस परिसम्पत्तियों तथा स्थायी प्रकृति का होता है। सहायक अनुदान पर होने वाले व्यय को अनुदान देने वाले के खाते में राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। प्राप्तकर्त्ता के खाते में इसे राजस्व प्राप्ति के रूप में लिया जाता है।

2. **12वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विवरणी/सूचना को सम्मिलित किए जाने की स्थिति :** परिशिष्ट (I) 'भविष्य में वचनबद्ध दायित्वों पर विवरणी' को वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे में संलग्न नहीं किया गया है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इसे तैयार किए जाने पर असमर्थता व्यक्त की गई है। (II) भविष्य में रोकड़ प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं पर वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों के निहितार्थ विवरण अथवा भविष्य के रोकड़ प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं को वर्ष 2011-12 के 'लेखे पर टिप्पणियाँ' के **परिशिष्ट 'ग'** में दर्शाया गया है।

3. **प्राप्तियों एवं व्ययों का मिलान :** झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 475 (viii) के अंतर्गत, सभी नियंत्री पदाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे महालेखाकार द्वारा लेखांकित आंकड़ों के साथ सरकार की प्राप्ति एवं व्यय का मिलान करें। ऐसे व्यय का मिलान 54 प्रतिशत नियंत्री पदाधिकारियों/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा ही सरकार के कुल व्यय

₹ 2,41,50.95 करोड़ के विरूद्ध ₹ 42,66.55 करोड़, जो कि सरकार के कुल व्यय का 17.67 प्रतिशत है तथा 19 प्रतिशत नियंत्री पदाधिकारियों/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा सरकार के कुल प्राप्तियों ₹ 2,51,14.10 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1,26,21.57 करोड़ की प्राप्ति, जो कि सरकार के कुल प्राप्तियों का 50.26 प्रतिशत है, वर्ष 2011-12 में इस प्रकार से मिलान किया गया है।

4. महालेखाकार द्वारा सम्पादित रोकड़ शेष तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सूचित रोकड़ शेष के बीच के अन्तर का मिलान

31 मार्च 2012 को महालेखाकार द्वारा रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जमा) के रूप में ₹ 93.84 करोड़ (नामे) सम्पादित किया गया। 31 मार्च 2012 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सूचित रोकड़ शेष ₹ 1,20.58 करोड़ (नामे) था। इस प्रकार दोनों आंकड़ों के बीच ₹ 2,14.42 करोड़ (नामे) का निवल अन्तर था। लेखे के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सूचित, रोकड़ शेष की स्थिति के विस्तृत विवरण को **विवरण सं॰ 18** के नीचे उद्धृत टिप्पणी में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2012 को ₹ 2,14.42 करोड़ (नामे) के अन्तर में वर्ष 2011-2012 के लिए ₹ 2,12.81 करोड़ (नामे) का अन्तर तथा अक्टूबर 1987 के पूर्व के लिए मिलान नहीं किए गए ₹ 1.61 करोड़ (नामे) का अन्तर शामिल है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 2,12.81 करोड़ (नामे) के अन्तर का समायोजन कर लिया गया है (जुलाई 2012)। अन्तर के विवरणी को, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर को समायोजन हेतु भेजा गया है।

5. रोकड़ एवं रोकड़ स्वरूप

कोषागारों में रोकड़ तथा भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों के पास जमा एवं पारगमन प्रेषण से 'रोकड़ एवं रोकड़ स्वरूप' का निर्माण होता है। सम्पूर्ण रूप से रोकड़ की स्थिति प्राप्ति के लिए, कोषागारों-विभागों के पास रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष/संचित निधियों से किया गया निवेश इत्यादि को 'भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा' के साथ जोड़ा जाता है। वित्त लेखे के **विवरण संख्या 1** में रोकड़ की सम्पूर्ण स्थिति को दर्शाया गया है। रोकड़ की सम्पूर्ण स्थिति में, 31 मार्च 2012 तक की अव्ययित हिस्से की राशि, जिसे बैंक लेखे में, सेवा शीर्ष को नामे कर, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्थानान्तरित किया गया, शामिल नहीं है। इसी स्थिति के अनुरूप, सरकार के व्यय का अधिकथन तथा रोकड़ की स्थिति में कमी दर्शायी जाती हैं।

6. असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए॰सी॰बिल॰) का अस्तित्व

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के माध्यम से सेवा शीर्ष से राशि की निकासी के लिए प्राधिकृत है एवं ऐसे समग्र मामले में विस्तृत आकस्मिक विपत्र, व्यय के सब व्हाउचरों सहित (अंतिम व्यय के लिए प्रमाणक) उनके द्वारा इस प्रकार उपस्थापित किया जाना चाहिए कि जिस माह से आकस्मिक विपत्र संबंधित है, उसके अगले माह की 25वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में पहुँच जाय। अभी तक वर्ष 2000-01 से 2011-12 (30.06.2012 की स्थिति) तक ₹ 68,61.00 करोड़ के कुल 25611 डी॰सी॰ विपत्र महालेखाकार कार्यालय को अप्राप्त रहे। आकस्मिक विपत्र के द्वारा राशि की निकासी संवितरण को दर्शाता है, न कि वास्तविक व्यय को। वर्ष-वार विवरण नीचे दिए गए है :-

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	आकस्मिक विपत्रों द्वारा निकासी		विस्तृत आकस्मिक विपत्र की प्रस्तुति		बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2009-10 तक	50867	11172	27424	6358	23443	4814
2010-11	1622	771	420	194	1202	577
2011-12	1059	1600	93	130	966	1470
योग	**53548**	**1,35,43**	**27937**	**66,82**	**25611**	**68,61**

7. (क) योजना शीर्ष के अंतर्गत आकस्मिक विपत्र द्वारा राशि की निकासी

झारखंड कोषागार संहिता के नियम 290, विशेष रूप से उल्लेख करता है कि ''आकस्मिक व्यय'' या ''आकस्मिकताएं'' का आशय तथा सभी अपघटित एवं अन्य व्यय, जिन्हें किसी कार्यालय का, कार्यालय के रूप में, प्रबंधन हेतु अथवा किसी विभाग के तकनीकी कार्यों के लिए वैसे व्यय, जिनका वर्गीकरण किसी दूसरे व्यय शीर्ष में उल्लेखित है, जैसे : 'कार्य', 'स्टॉक', 'उपकरण एवं प्लान्ट' आदि को छोड़कर, सम्मिलित है।

योजना शीर्ष के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित ₹ 14,18.28 करोड़ को वैसे विपत्र फॉर्म में निकाला गया, जो 'आकस्मिक व्यय' की राशि की निकासी के लिए प्रस्तावित है, जैसा की **'परिशिष्ट घ'** में दर्शाया गया है। वर्ष 2010-11 में निकासी की गई कुल राशि में से ₹ 8,88.98 करोड़ की निकासी आकस्मिक विपत्र द्वारा मार्च 2012 के दौरान की गई । मुख्य शीर्षवार विवरण **परिशिष्ट 'ङ'** में दर्शाया गया है।

योजना शीर्ष के अंतर्गत व्यय मुख्यत: योजना से संबंधित होता है, जिसके लिए विस्तृत भाउचर/ उपयोगिता प्रमाणपत्र/ चलन्त लेखा विपत्र इत्यादि को जमा किए जाने की आवश्यकता होती है। इस तरह की व्यय की प्रकृति 'आकस्मिक व्यय' की नहीं होती है, इसलिए वैसे मामलों में 'आकस्मिक विपत्र' द्वारा निकासी की गई राशि के समायोजन हेतु 'विस्तृत आकस्मिक विपत्र' जमा किया जाना आवश्यक नहीं हैं।

7. (ख) निधि का सरकारी लेखे से बाहर (बैंक लेखे) अवस्थित होना

झारखंड कोषागार संहिता के नियम 300 के अनुसार कोषागार से किसी भी राशि की निकासी केवल तभी हो सकता है, जबकि तत्काल भुगतान हेतु उसकी आवश्यकता हो। कार्य के विनिर्माण हेतु, जिसके पूर्ण होने में विचारणीय समय अपेक्षित है या विनियोग के लैप्स हो जाने की दशा में, माँग के प्राप्त होने की आशा में कोषागार से अग्रिम की निकासी मान्य नहीं है। वर्ष 2012 के मार्च महीने के अंतिम चार कार्य दिवसों में ₹ 89.53 करोड़ की राशि, जिसकी निकासी 'आकस्मिक विपत्र' तथा 'सम्पूर्ण भाउचर सहित आकस्मिक विपत्र' से की गई, को बैंक लेखे में रखा गया।

आकस्मिक विपत्रों द्वारा की गई निकासी के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्र तथा 'सम्पूर्ण भाउचर सहित आकस्मिक विपत्र' द्वारा की गई निकासी के द्वारा वर्ष 2011-12 में हुए व्यय के समर्थन में ''सब-भाउचरों'' की प्राप्ति 30.06.2012 तक नहीं हुई है। ₹ 2,16.96 करोड़ के 'अनुदानों' की निकासी भी, वर्ष 2012 के मार्च महीनें के अंतिम चार कार्य दिवसों में की गई तथा इसे बैंक लेखे में रखा गया।

8. वर्ष 2011-12 में राशि का समेकित निधि से लोक लेखे में स्थानापन्न

मार्च 2012 में निकासी की गई ₹ 21,24.80 करोड़ की अनुदान राशि को सेवा शीर्ष को नामे कर स्थानीय निधि लेखे में स्थानान्तरित किया गया। इस प्रकार की राशि का स्थानान्तरण संवितरण को दर्शाता है, न कि वित्तीय वर्ष के दौरान हुए व्यय को। बजट में रेखांकित मदों के लिए, वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय, विनियोग अधिनियम के अनुरूप, सुनिश्चित उद्देश्य हेतु, होना चाहिए। इसे, **'लेखे पर टिप्पणियाँ' के मद सं॰ 27 (ख)** में ''अन्य समायोजन'' के तहत् दर्शाया गया है।

9. राज्य बजट में ''सहायक अनुदान'' को ''सहायक अनुदान'' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया जाना

राज्य बजट में, वस्तु शीर्ष-सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना एवं मनरेगा के अंतर्गत राज्य के हिस्से के रूप में '70-राज्यांश' के अंतर्गत बजट प्रावधान किया गया है। इसी तरह केन्द्र के हिस्से के रूप में, वस्तु शीर्ष '69-केन्द्रांश' है। राज्यांश/केन्द्रांश साधारणतया निधि के स्रोत को बताते हैं, ये व्यय की प्रकृति को नहीं बताते। वर्ष 2011-12 के लिए वित्त लेखे में 'सर्व शिक्षा अभियान' पर ₹ 3,37.00 करोड़, 'मध्याह्न भोजन' पर ₹ 1,42.00 करोड़, 'इंदिरा आवास योजना' पर ₹ 105.00 करोड़ एवं 'मनरेगा' पर ₹ 117.00 करोड़ के व्यय को सहायक अनुदान के रूप में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि राज्य बजट में इन राशियों के व्यय को अनुदान के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। तथापि इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत उपरोक्त राशियों को केन्द्रांश/राज्यांश के रूप में लेखे में वर्गीकृत किया गया है।

10. पूँजी अनुभाग के अंतर्गत सहायक अनुदान

निर्धारित नियमों के अनुसार, स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान के व्यय को 'राजस्व व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए। बजट प्रावधानों के अनुसार रू० 12.81 करोड़ की राशि को पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। जिसे **परिशिष्ट 'च'** में दर्शाया गया है। फलस्वरूप, वर्ष 2011-12 के लिए राज्य सरकार के राजस्व अधिशेष को इसी राशि के बराबर कम दर्शाया गया है।

11. सहायक अनुदान का संवितरण

झारखण्ड वित्तीय नियमावली का नियम 340 यह व्याख्यादेश देता है कि सहायक अनुदान वैसे व्यक्ति या निकाय को दिया जाता है, जो सरकार से स्वतंत्र है। वर्ष 2011-12 में ₹ 44,95.63 करोड़ का सहायक अनुदान वितरित किया गया। परिशिष्ट IV में विस्तृत विवरण दिए गए हैं।

12. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदानों के विरूद्ध बकाया प्रमाणपत्र

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 429 के तहत राज्य सरकार के स्वकृत्यादेश के विरूद्ध महालेखाकार (ले. एवं ह.) के द्वारा निर्गत प्राधिकारों के आधार पर सहायक अनुदानों का वितरण किया जाता है। चूँकि, प्राप्तकर्ता निकाय को निधि का स्थानांतरण किया जाता है, इसलिए राशि वितरण के एक वर्ष तक महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 30 जून 2012 तक राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र (सहायक अनुदान के विरूद्ध किए गए व्यय के समर्थन में प्रस्तुत) की प्राप्ति अवलम्बित है, जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

सहायक अनुदान वितरित किए जाने का वर्ष	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने का नियत वर्ष	प्रतिक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	सम्मिलित राशि (करोड़ रूपयों में)
2007-08 तक	2008-09 तक	1942	24,68.28
2008-09	2009-10	636	7,78.28
2009-10	2010-11	1230	11,39.15
2010-11	2011-12	1424	24,50.33

13. व्यक्तिगत जमा खाता में निधि का स्थानान्तरण

यद्यपि सरकार किसी विशेष प्रयोजन के लिए निकासी की गई राशि को जमा करने के लिए व्यक्तिगत जमा खाता खोलने हेतु प्राधिकृत है, संचालकों द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन को इस खाते को बन्द कर देना तथा शेष राशि को सरकारी खाते में वापस कर देना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार के द्वारा कोई भी व्यक्तिगत जमा खाता नहीं खोला गया है। 31 मार्च 2012 तक व्यक्तिगत जमा खातों में शेष राशि के रूप में ₹ 68.53 करोड़, जो राज्य अधिवक्ता कल्याण संघ निधि का प्रतिनिधित्व करता है, को झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि ट्रस्टी कमेटी के बैंक लेखे में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता है।

14. राजस्व अनुभाग के अंतर्गत वृहद कार्य

वृहद कार्यो पर ₹ 2,50.13 करोड़ के व्यय को राजस्व अनुभाग में मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जैसा कि वर्ष 2011-12 के वित लेखे के **परिशिष्ट 'छ'** में, पूंजी अनुभाग के संबंधित मुख्य शीर्षों के बजाए इन मुख्य शीर्षों में बजट प्रावधान किए जाने के कारण दर्शाया गया है। फलस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए राज्य सरकार का राजस्व घाटा, इसी राशि के द्वारा कमी के रूप में दर्शाया गया है।

15. गुप्त सेवा निधि के लिए पर्याप्त वास्तविक प्रशासनिक लेखा के प्रमाणपत्र का अप्राप्त रहना

वर्तमान नियम के अनुसार, गुप्त सेवा निधि से हुए व्यय का, सरकार के द्वारा नियुक्त नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा, एक पर्याप्त वास्तविक प्रशासनिक लेखा का संचालन किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में एक प्रमाणपत्र महालेखाकार को निर्धारित प्रपत्र में संबंधित वर्ष से अगले वर्ष के 31 अगस्त तक प्रेषित किया जाना चाहिए। नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा निम्नलिखित वर्षों से संबंधित प्रमाणपत्र लंबित है :-

क्रम सं॰	वर्ष	व्यय एवं संवितरण पदाधिकारी	राशि *(करोड़ रूपयों में)*	प्रमाणपत्र उपस्थापन की नियत तिथि
1.	2005–06	आरक्षी महानिदेशक एवं महानिरीक्षक	8.30	31 अगस्त 2006 को या उससे पहले
2.	2007–08	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	4.50	31 अगस्त 2008 को या उससे पहले
3.	2008–09	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	2.50	31 अगस्त 2009 को या उससे पहले
4.	2010–11	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	1.67	31 अगस्त 2011 को या उससे पहले

16. गारंटियों को निर्गत करने हेतु राज्य सरकार की आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकार जो कि गारंटियों को निर्गत करने का प्राधिकारी है, से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर **विवरण संख्या 9** में गारंटियों को प्रतिवेदित किया जाता है। दिनांक 14.11.2000 तक संयुक्त बिहार राज्य द्वारा दिए गए गारंटियों को अभी तक (जून 2012) उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया गया है। राज्य सरकार का राजकोषीय शोधन पत्र यह उद्‌घाटित करता है कि सरकार द्वारा मार्च 2012 के अंत तक दिए गए ₹ 5,00.00 करोड़, गारंटियों के रूप में बकाया था। सरकार द्वारा दिए गये गारंटियों से समबन्धित विस्तृत सूचना, राज्य सरकार से अपेक्षित है।

17. कर्जे तथा अग्रिम

वित्तीय वर्ष 2011–12 के वित्त लेखे में कर्जे तथा अग्रिम से संबंधित पूर्ण सूचनाएं समाहित नहीं है। कर्जे तथा अग्रिम के संबंध में मूल तथा ब्याज के ओभरडयू के विस्तृत विवरण, जो कि राज्य सरकार के द्वारा संधारित किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा अपेक्षित है (जून 2012)। इस संबंध में, 31 मार्च 2012 के अनुरूप शेषों की पुष्टि राज्य सरकार के द्वारा नहीं की गई है। इस कारण से, इसी सीमा तक राज्य सरकार की वितीय परिसम्पत्तियों की स्थिति अपूर्ण है। कर्जे के संबंध में, जिसका विस्तृत लेखा, महालेखाकार द्वारा सम्पोषित है, शेषों की पुष्टि किए जाने हेतु प्रत्येक पृथक कर्जदार से आग्रह किया गया था, लेकिन किसी के द्वारा भी इसकी पुष्टि नहीं की गई। **परिशिष्ट VIII के अनुलग्नक 'क'** में इसका उल्लेख किया गया है।

18. राज्यों के पूनर्गठन के फलस्वरूप, शेषों का आवंटन

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के संबंध में, पूंजी अनुभाग, कर्जे तथा अग्रिम और लोक लेखा के शेषों को 14.11.2000 तक बंटवारा नहीं किया गया है। अधिनियम के धारा 43 तथा 48 के तहत् लोक ऋण तथा रोकड़ शेषों को, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संधारित है, को उत्तरवर्ती राज्य बिहार तथा झारखंड के बीच केवल अनुपातिक स्तर पर बांट दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में झारखंड राज्य के वित्त लेखे में, झारखंड राज्य के गठन 15 नवम्बर 2000 से प्रभावित परिसम्पतियों और दायित्वों को, जिसका बंटवारा अपेक्षित है, को शून्य से निर्धारित किया गया है। 31.03.2012 तक अपेक्षित शेषों के बंटवारे की सूची को **परिशिष्ट XII** में दर्शाया गया है।

19. राज्य आपदा दायित्व निधि में स्थानान्तरण

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2010–11 के दौरान, मुख्य शीर्ष ''8121 - सामान्य और अन्य आरक्षित निधियां, 122- राज्य आपदा दायित्व निधि'' के अंतर्गत ''राज्य आपदा दायित्व निधि'' खोला गया।

भारत सरकार द्वारा वितीय वर्ष 2010–11 में 'राज्य आपदा दायित्व निधि' के केन्द्रांश के रूप में ₹ 2,04.32करोड़ (वर्ष 2011–12 के लिए पहली एवं दूसरी किस्त के रूप में) निर्गत किया गया। 'राज्य आपदा दायित्व निधि' के प्रशासन एवं संचालन, जो कि भारत सरकार के द्वारा शासित है, के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को केन्द्रांश के रूप में प्राप्त ₹ 2,04.32 करोड़ की राशि के साथ राज्यांश के रूप में ₹ 68.10 करोड़, कुल ₹ 2,72.42 करोड़ को शीर्ष ''8121-

सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ, 122- राज्य आपदा दायित्व निधि'' में वर्ष 2011-12 में स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12 में 'राज्य आपदा दायित्व निधि' में केवल ₹ 138.58 करोड़ स्थानान्तरित किया है।

20. उचंत एवं प्रेषण का निवल आधार पर आकलन

वित्त लेखे, उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के निवल शेषों को दर्शाता है। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों के विभिन्न शीर्षों में बकाया 'नामे' एवं बकाया 'जमा' शेषों को पृथक रूप से निकाल कर किया जाता है। विगत तीन वर्षों के अंतर्गत कुछ मुख्य उचंत शीर्षों (मुख्य शीर्ष 8658 के अन्तर्गत) के सकल आंकड़ों की स्थिति नीचे दिए गए हैं :-

लघु शीर्ष का नाम	2009-10		2010-11		2011-12	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101-वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	48.60	42.94	58.26	54.15	44.63	43.47
निवल	नामे 5.66		नामे 4.11		नामे 1.16	
102- उचंत लेखा (सिविल)	91.42	56.99	97.33	63.44	85.21	49.53
निवल	नामे 34.43		नामे 33.89		नामे 35.68	
109- रिजर्व बैंक उचंत (मुख्यालय)	(-) 5.94	(-) 5.93	(-) 5.97	(-)7.50	(-) 4.46	(-)7.26
निवल	जमा 0.01		जमा 1.53		जमा 2.80	
110- रिजर्व बैंक उचंत (केंद्रीय लेखा कार्यालय)	44.61	11.06	66.70	0.64	50.61	63.60
निवल	नामे 33.55		नामे 66.06		नामे 12.99	
111- विभागीय समायोजन लेखा उचंत	...	...	...	...	...	...
निवल	शून्य		शून्य		शून्य	
112- स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचंत	...	1,08.08	...	1,09.76	2,20.44	3,51.53
निवल	जमा 1,08.08		जमा 1,09.76		जमा 1,31.09	

21. आपतिगत बही उचंत

'आपतिगत बही उचंत' के अंतर्गत रखे गए वर्षवार राशियों को नीचे दर्शाया गया है :-

वर्ष	आवेष्टित राशि
2007-08 तक	63.54
2008-09	9.82
2009-10	4.38
2010-11	0.70

22. आरक्षित निधियाँ

12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 में, देयताओं के परिशोधन तथा गारंटियों के विमोचन हेतु निक्षेप निधि का सृजन नहीं किया गया है।

23. लेखे का प्रेषण

राज्य सरकार के लेखे, जिन्हें महालेखाकार कार्यालय में संकलन किया जाता है, मुख्य रूप से 199 कोषागारों, 498 लोक निर्माण कार्यो एवं 347 वन प्रमण्डलों द्वारा दिए गए आरंभिक लेखों पर आधारित होता है। वर्ष 2011-12 के लिए इन इकाइयों से प्राप्त कुल लेखाओं की संख्या 1044 थी। प्राप्तियों एवं व्ययों की पूर्ण समेकित स्थिति को समय पर तैयार करने हेतु निर्धारित देय तिथि, कोषागार लेखे के मामले में, अगले महिने की 5वीं तारीख तक तथा वन एवं लोक निर्माण लेखे के मामले में अगले महिने की 10वीं तारीख तक लेखे का प्राप्त होना आवश्यक है।

वितीय वर्ष 2011-12 में लेखे प्रेषित करने वाले विभिन्न इकाइयों से लेखे की प्राप्ति में विलम्ब को नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

क्रम सं॰	लेखे का स्रोत	विलम्ब से प्राप्त होनेवाले लेखों की सं॰	औसत विलम्ब (दिनों में)
1.	कोषागार	199	3.87
2.	लोक निर्माण कार्य प्रमंडल	498	0.17
3.	वन प्रमंडल	347	3.12

24. दामोदर घाटी निगम के ऋण अंश्दान में भिन्नता

संयुक्त बिहार राज्य के दामोदर घाटी निगम के ऋण पूंजी अंशदान के रूप में ₹ 49.36 करोड़, दामोदर घाटी निगम के 2011–12 के अंकेक्षित लेखे में दर्ज ₹ 16,97.52 करोड़ से भिन्न है। दोनों प्रकार के लेखे में भिन्नता, राज्य सरकार के लाभ के हिस्से (सिंचाई तथा उर्जा अधिव्यय) और राज्य के कर्जे पर निर्धारित ब्याज को वापस दामोदर घाटी निगम के खाते में लाया जाना है। इसी तिथि पर दामोदर घाटी निगम के लेखें में निवल दायित्व ₹ 78,17.80 करोड़ के विरूद्ध संयुक्त बिहार राज्य के सरकार द्वारा समयोजित ₹ 16,97.52 करोड़ के ऋण पूंजी अंशदान, के रूप में प्रदर्शित करता है। जैसे ही 14.11.2000 को बिहार और झारखंड के बीच बंटवारा होता है, दामोदर घाटी निगम में झारखंड सरकार के हिस्सा पूंजी का सही राशि वित्त लेखे में प्रदर्शित होगा।

25. झारखंड राजकोषीय उतरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2007 में प्रकटीकरण की आवश्यकता

राज्य सरकार ने एफ॰आर॰बी॰एम॰ अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकटीकरण तैयार किया है :-

(क) निर्धारित राजकोषीय सूचकांक के अभिकलन को दोषपूर्ण तरीके से प्रभावित कर रहे या करनेवाले, लेखाकरण मानकों, नीतियों एवं व्यवहारिकता में सार्थक परिवर्तन करने का विवरण।

(ख) बजट, जिसमें सरकार, लोक उपक्रम तथा अनुदानित संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या का विस्तृत विवरण तथा तत्संबंधी वेतन, के साथ विशेष विवरण।

(ग) बजट के संपादन तथा राजकोषीय लक्ष्यों/सूचकांक की प्राप्तियों पर एक रिपोर्ट विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।

(घ) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कोषागारों में प्रस्तुत वैसे विपत्र, जिसकी नकदीकरण नहीं हुई है, का विवरण।

(ङ) गतवर्ष के केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजना के अंतर्गत राज्य के हिस्से का उपलब्ध नहीं कराया जाना तथा चालू वित्तीय वर्ष में वैसे राज्यांश के घाटे का प्रभाव।

(च) किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त केन्द्रीय सहायता तथा उस वर्ष की समाप्ति पर उसका उपयोग नहीं किया जाना, तथा

(छ) संवितरण नहीं किए गए, वैसे राशि जो सिविल जमा में रखे गए हैं।

झारखण्ड राजकोषीय उतरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रकटीकरण, अभी भी तैयार किए जाने की आवश्यकता है :-

(क) आगामी दस वर्षों के लिए अनुमानित पेंशन दायित्व को वास्तविक आधार पर आकलन

(ख) बकाया राजस्व (कर तथा करेतर राजस्व दोनों) को दर्शानेवाला एक अलग विवरण, प्राप्ति बजट के साथ, परिशिष्ट के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

(ग) राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों को संस्था-वार दर्शानेवाला विवरण, जिसमें इन संस्थाओं द्वारा ऋण सुधार दायित्व एवं आकस्मिक दायित्व की विमुक्ति में किए गए चूक को, राज्य सरकार के लेखे में इन संस्थाओं के द्वारा किए गए चूक के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। लोक उपक्रमों/सहकारिताओं/शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा खोले गए निलम्बलेख लेखों की कार्य पद्धतियों को इस विवरण में दर्शाया जाना चाहिए।

(घ) वित्तीय वर्ष में दिए गए कर-रियायत तथा कर-माफी को दर्शानेवाला विवरण

(ङ) ऋण तथा वितीय परिसम्पतियों को, परिपक्वता पार्श्विका तथा ब्याज दर के स्तर पर, पूरी जानकारी के साथ दर्शानेवाला विवरण। राज्य सरकार के द्वारा, भुगतान योग्य, प्राप्ति योग्य, इत्यादि सम्बंधी प्रकटीकरण नियत वैद्धता के बाद किया जाना है।

26. पेंशन संबंधी दस्तावेज

कुछ कोषागारो द्वारा वैसे पेंशनरों, जिनके पेंशन की निकासी कोषागारों से होता है, के मामले में जीवन प्रमाणपत्र, बेरोजगारी प्रमाणपत्र तथा महिला पेंशनरों, जिनके पेंशन विवाह या पुर्नविवाह के कारण समाप्त किया जाता है, के द्वारा इस आशय का अर्द्ध–वार्षिकी घोषणा पत्र, संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव नहीं किया जाता है।

वर्ष 2011–12 में निरीक्षण किए गए 32 कोषागारों/उप कोषागारों में बहियों (रजिस्टरों एवं दस्तावेजों) के रखरखाव में पाई गई कमियों के अलावा निम्नलिखित गलतियाँ भी पाई गई।

(क) सात कोषागारों/उप कोषागारों में महिला पेंशनरों के मामले में विवाह/पुर्नविवाह प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना।

(ख) 14 कोषागारों/उप–कोषागारों के द्वारा महालेखाकार को हरेक छः महीने में, पेंशन की निकासी नहीं होने के मामलों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाना।

(ग) 04 कोषागारों/उप कोषागारों के द्वारा पेंशनरों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाना।

(घ) 10 कोषागारों/उप–कोषागारों के द्वारा, पेंशनरों की मृत्यु के मामलों में, बकाया पेंशन के भुगतान के बाद महालेखाकार को पेंशन भुगतान आदेश की दोनों प्रतियों को वापस नहीं किया जाना।

(ङ) 05 कोषागारों/उप–कोषागारों द्वारा सेवा पेंशन प्राप्त करनेवाले पेंशनरों द्वारा बेरोजगारी–प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया जाना।

बैंकों से पेंशन लेने वाले पेंशनरों के अलावा, पेंशन संवितरण प्राधिकारी (इन मामलों में बैंक) को नियम फार्म में उपरोक्त प्रमाणपत्र पेंशनरों से प्राप्त करना आवश्यक हैं। बैंकों से पेंशन की निकासी पर आवश्यक जाँच एवं नियंत्रण के लिए कोषागारों द्वारा अधिसूचित बैंकों से इस संबंध में वांछनीय सूचनाएं प्राप्त नहीं किए जाते हैं। पेंशनर की मृत्यु के मामलों में पेंशन भुगतान आदेश की दोनों प्रत्तियों (पेंशनर की प्रति एवं संवितरणकी प्रति), पेंशन की बकाया राशि के भुगतान के बाद महालेखाकार को पेंशनर की मृत्यु के दिनांक सूचित करते हुए वापस किया जाना चाहिए। पेंशनर की पेंशन के संवितरण प्रति, जो छः वर्षो के लिए या तीन वर्षो के लिए जैसा कि पेंशनर को राजनीतिक पेंशनर या अन्य पेंशनर के रूप में वर्गीकृत किया गया पेंशन नहीं ले सके, को पेंशन नहीं लेने के मामलों के अर्द्धवार्षिकी रिपोर्ट के साथ महालेखाकार को वापस किया जाना चाहिए।

बैंको के द्वारा किस सीमा तक उपरोक्त विधिक प्रावधानों का पालन किया जाता है, इसे कोषागार में निश्चित किया जा सका।

27. खाता समायोजन (लेखे पर टिप्पणियों के मद । (ii) के संदर्भ में)

क. आवर्त्त समायोजन :-

क्रम सं॰	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि
			से		को	*(करोड़ रूपयों में)*
1.	राज्य आपदा दायित्व निधि में केन्द्रांश तथा राज्यांश का स्थानांतरण	2245	प्राकृतिक विपति के के कारण राहत	8121	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	1,38.58
2.	प्राकृतिक विपति के कारण सहायता मद में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति	8235	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	2245	प्राकृतिक विपति के कारण राहत	2,43.71
3.	सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन	2049	ब्याज अदायगियाँ	8009	राज्य भविष्य निधियां	1,64.74
4.	राज्य कर्मियों का सामुहिक बीमा पर ब्याज का समायोजन	2049	ब्याज अदायगियाँ	8011	बीमा तथा पेंशन निधियाँ	6.04
5.	विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के अव्ययित शेष की वापसी	8658	उचंत लेखा (सिविल)	2203	तकनीकी शिक्षा	24.63

ख. अन्य समायोजन

क्रम सं॰	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि
			से		को	(करोड़ रूपयों में)
1.	वृहद राँची विकास प्राधिकार, राँची के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2053	जिला प्रशासन	8448	स्थानीय निधियों की जमा	1,52.89
2.	जैप आई॰टी॰ के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2203	तकनीकी शिक्षा	8448	स्थानीय निधियों की जमा	1.07
3.	मेसो परियोजना क्षेत्र के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2204	खेलकुद तथा युवा सेवाऐं	8448	स्थानीय निधियों की जमा	1.71
4.	वेतन एवं पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए राजेन्द्र आर्युविज्ञान संस्थान के व्यक्तिगत खाता में लेखा स्थानांतरण	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	8448	स्थानीय निधियों की जमा	14.04
5.	13वीं वित्त आयोग के अंतर्गत सामान्य मूल अनुदान के लिए जिला परिषद, नगर पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र समिति तथा नगर निगम के व्यक्तिगत खाता लेखा स्थानांतरण	2215	जलपूर्ति तथा सफाई	8448	स्थानीय निधियों की जमा	17.89
6.	13वी वित्त आयोग के अंतर्गत सामान्य मूल अनुदान का मूल्य, व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2217	शहरी विकास	8448	स्थानीय निधियों की जमा	18.66
7.	जिला परिषद, धनबाद के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2220	सूचना तथा प्रचार	8448	स्थानीय निधियों की जमा	0.31
8.	राजमहल मेसो परियोजना के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2225	अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गो का कल्याण	8448	स्थानीय निधियों की जमा	2.05

क्रम सं॰	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि
			से		को	(करोड़ रूपयों में)
9.	13वीं वित्त के अंतर्गत सामान्य मूल अनुदान, जिला परिषद् हजारीबाग के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2401	फसल कृषिकर्म	8448	स्थानीय निधियों की जमा	1.02
10.	13वीं वित्त के अंतर्गत सामान्य मूल अनुदान, जिला परिषद् हजारीबाग के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2403	पशुपालन	8448	स्थानीय निधियों की जमा	0.20
11.	13वीं वित्त के अंतर्गत सामान्य मूल अनुदान, जिला परिषद् हजारीबाग के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2404	डेरी विकास	8448	स्थानीय निधियों की जमा	0.55
12.	राजमहल मेसो परियोजना के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2405	मछली पालन	8448	स्थानीय निधियों की जमा	0.32
13.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिए जिला परिषद के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448	स्थानीय निधियों की जमा	1,48.61
14.	रिसोर्स गैप के रूप विद्युत आपूर्त्ति हेतू झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2801	उर्जा	8448	स्थानीय निधियों की जमा	7.24
15.	सोलर लैम्प के उपस्थापन के लिए झारखण्ड नवीकरण उर्जा के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2810	नवीन और नवीकरणीय उर्जा	8448	स्थानीय निधियों की जमा	35.00

क्रम सं॰	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि
			से		को	(करोड़ रूपयों में)
16.	झारक्राफ्ट, राँची के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2851	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	8448	स्थानीय निधियों की जमा	30.74
17.	आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2852	उद्योग	8448	स्थानीय निधियों की जमा	4.30
18.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम, राँची के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	3452	पर्यटन	8448	स्थानीय निधियों की जमा	1.43
19.	विद्यालय भवन के निर्माण के लिए जिला परिषद् के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों की जमा	0.25
20.	पूँजीगत परिसम्पतियों के निर्माण के लिए जिला परिषद, नगर पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र समिति तथा नगर के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों की जमा	8.50
21.	पूँजीगत परिसम्पतियों के निर्माण के लिए जिला परिषद, नगर पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र समिति तथा नगर के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	4225	अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों की जमा	1.33
22.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम, राँची के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों की जमा	2.86

क्रम सं॰	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि
			से		को	*(करोड़ रूपयों में)*
23.	नगर निगम, गिरिडीह के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	6217	शहरी विकास के लिए कर्ज	8448	स्थानीय निधियों की जमा	4.29
24.	रिसोर्स गैप के रूप में विद्युत आपूर्ति हेतु झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	6801	उर्जा–परियोजनाओं के लिए कर्ज	8448	स्थानीय निधियों की जमा	1,64.95

28. विभिन्न मुख्य योजनागत योजनाओं के लिए केन्द्रांश एवं उसके सदृश राज्यांश की विमुक्ति

विभिन्न मुख्य योजनागत योजनाओं के लिए केन्द्रांश के रूप में केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि एवं राज्य सरकार के द्वारा विमुक्त राशि में ₹ 1735.01 करोड़ की कमी का अन्तर था। उसके सदृश इन योजनओं के लिए राज्यांश के रूप में भी राज्य सरकार द्वारा ₹ 50.86 करोड़ कम की राशि की विमुक्ति हुई, जैसा कि **विवरण सं॰ 12 के परिशिष्ट** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट ''ग''

(लेखे पर टिप्पणियों के पैरा 2 से संदर्भित)

वर्ष के दौरान, भविष्य के रोकड़ प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित 'नई योजनाओं' पर मुख्य नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन को दर्शानेवाला विवरण (#)

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं॰	नीतिगत निर्णय/ नई योजनाओं की प्रकृति	के लिए क्रियान्वित			आवर्ती के मामलों में निवल रोकड़ प्रवाह के फलन पर वार्षिक अनुमानों को दर्शाऐं		के संदर्भ में वार्षिक व्यय की प्रकृति दर्शाऐं				नई योजनाओं पर होनेवाले व्यय के लिए संभावित स्रोत		
		प्राप्तियाँ/ व्यय उभय	आवर्ती एक ही बार	यदि एक ही बार, फलित दर्शाऐं	निश्चित अवधि (अवधि उल्लेख)	स्थायी	राजस्व		पूंजी		राज्य का निजी स्रोत	केन्द्रीय स्थानांतरण	कर्ज उगाही
							योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना			
1.	बिहार पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अनुसार बिहार सरकार को पेंशन दायित्व का भुगतान	सेवानिवृति लाभ पर दायित्वों को चुकाने हेतु बजट पर अतिरिक्त भार	आवर्ती	...	20 वर्षो के लिए	...	...	50.00 (पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अनुसार	...	...	50.00	...	...
2.	तीन नए सृजित जिलों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए अंगीभूत कार्य योजना	व्यय	एक बार	कार्य भुगतान	2011-12	...	90.00	...	...	...	90.00	...	...
3.	चार सी॰आई॰ ए॰टी॰ विद्यालयों की स्थापना तथा उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों में एस॰आई॰एस॰ का निष्पादन	व्यय	अनावर्ती	स्थापना एवं कार्य भुगतान	2011-12	...	46.50	...	...	...	...	46.50	...
4.	झारखण्ड के 24 जिलों के सभी प्रखण्डों में पेयजल की आपूर्ति	व्यय	अनावर्ती	कार्य भुगतान	2011-12	...	...	1,00.00	...	...	1,00.00	...	...
5.	जिलों के लिए एन॰सी॰डी॰सी॰ द्वारा वित्त प्रदत आई॰सी॰डी॰पी॰ कर्ज एवं निवेश	व्यय	अनावर्ती	हिस्सा पूंजी तथा कर्ज	2011-12	...	...	...	24.05	...	...	...	24.05
	योग						**1,36.50**	**1,50.00**	**24.05**	**...**	**2,40.00**	**46.50**	**24.05**

वर्ष 2011-12 के बजट दस्तावेजों में दिए गए सूचनाओं के आधार पर यह विवरण तैयार किया गया है।

परिशिष्ट ''घ''

(लेखे पर टिप्पणियों के पैरा 7 (a) में संदर्भित)

वर्ष 2011-12 के दौरान योजना निधि की आकस्मिक विपत्रों द्वारा निकासी

मुख्य शीर्ष	नामकरण	योजना का प्रकार	राशि *(करोड़ रुपयों में)*
2029	भू-राजस्व	के॰यो॰यो॰	1.00
2029	भू-राजस्व	रा॰यो॰	0.09
2053	जिला प्रशासन	रा॰यो॰	35.08
2055	पुलिस	के॰प्रा॰यो॰	22.50
2055	पुलिस	रा॰यो॰	74.50
2202	सामान्य शिक्षा	के॰यो॰यो॰	0.01
2202	सामान्य शिक्षा	के॰प्रा॰यो॰	20.36
2202	सामान्य शिक्षा	रा॰यो॰	6,58.51
2203	तकनीकी शिक्षा	रा॰यो॰	0.05
2204	खेलकूद एवं युवा सेवाऐं	के॰प्रा॰यो॰	1.87
2204	खेलकूद एवं युवा सेवाऐं	रा॰यो॰	3.02
2205	कला एवं संस्कृति	रा॰यो॰	0.20
2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	रा॰यो॰	97.30
2220	सूचना एवं प्रसार	रा॰यो॰	0.49
2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	के॰यो॰यो॰	2.96
2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	रा॰यो॰	32.08
2230	श्रम तथा रोजगार	रा॰यो॰	0.58
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	के॰यो॰यो॰	0.02
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	के॰प्रा॰यो॰	0.22
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	रा॰यो॰	2.60
2236	पोषण	रा॰यो॰	20.63
2401	फसल कृषिकर्म	के॰यो॰यो॰	1.17
2401	फसल कृषिकर्म	के॰प्रा॰यो॰	3.73
2401	फसल कृषिकर्म	रा॰यो॰	31.59
2402	मृदा तथा जल संरक्षण	रा॰यो॰	1.67
2403	पशुपालन	के॰यो॰यो॰	0.23
2403	पशुपालन	के॰प्रा॰यो॰	2.77

परिशिष्ट ''घ''–क्रमांत

(लेखे पर टिप्पणियों के पैरा 7 (a) में संदर्भित)

वर्ष 2011-12 के दौरान योजना निधि की आकस्मिक विपत्रों द्वारा निकासी

मुख्य शीर्ष	नामकरण	योजना का प्रकार	राशि (करोड़ रुपयों में)
2403	पशुपालन	रा॰यो॰	2.66
2404	डेयरी विकास	रा॰यो॰	3.53
2405	मछली पालन	रा॰यो॰	9.01
2425	सहकारिता	रा॰यो॰	1.25
2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	रा॰यो॰	0.79
2505	ग्रामीण रोजगार	रा॰यो॰	13.68
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	रा॰यो॰	59.22
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	रा॰यो॰	0.63
3452	पर्यटन	रा॰यो॰	0.75
3456	सिविल आपूर्ति	रा॰यो॰	1,25.78
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	रा॰यो॰	50.92
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	रा॰यो॰	22.19
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	के॰प्रा॰यो॰	4.07
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	रा॰यो॰	23.69
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	के॰प्रा॰यो॰	0.42
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	रा॰यो॰	7.38
4401	फसल कृषिकर्म पर पूंजीगत परिव्यय	रा॰यो॰	3.00
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	के॰प्रा॰यो॰	0.30
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	रा॰यो॰	0.30
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	रा॰यो॰	0.15
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	रा॰यो॰	68.72
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	रा॰यो॰	0.15
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	रा॰यो॰	4.46
		कुल	**14,18.28**

परिशिष्ट ''ङ''

(लेखे पर टिप्पणियों के पैरा 7 (क) में संदर्भित)

मार्च 2012 के दौरान योजना निधि की आकस्मिक विपत्रों द्वारा निकासी

मुख्य शीर्ष	नामकरण	योजना का प्रकार	राशि (करोड़ रुपयों में)
2029	भू-राजस्व	के॰यो॰यो॰	1.00
2053	जिला प्रशासन	रा॰यो॰	10.72
2055	पुलिस	के॰प्रा॰यो॰	22.50
2055	पुलिस	रा॰यो॰	11.00
2202	सामान्य शिक्षा	के॰यो॰यो॰	0.01
2202	सामान्य शिक्षा	के॰प्रा॰यो॰	9.37
2202	सामान्य शिक्षा	रा॰यो॰	4,50.68
2203	तकनीकी शिक्षा	रा॰यो॰	0.05
2204	खेलकूद एवं युवा सेवाएं	के॰प्रा॰यो॰	1.87
2204	खेलकूद एवं युवा सेवाएं	रा॰यो॰	3.02
2205	कला एवं संस्कृति	रा॰यो॰	0.10
2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	रा॰यो॰	95.90
2220	प्रसार एवं प्रचार	रा॰यो॰	0.49
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	के॰यो॰यो॰	2.11
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	रा॰यो॰	32.01
2230	श्रम तथा रोजगार	रा॰यो॰	0.08
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	के॰प्रा॰यो॰	0.02
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	रा॰यो॰	1.73
2236	पोषण	रा॰यो॰	10.85
2401	फसल कृषि कर्म	के॰यो॰यो॰	1.17
2401	फसल कृषि कर्म	के॰प्रा॰यो॰	0.75
2401	फसल कृषि कर्म	रा॰यो॰	15.82
2402	मृदा तथा जल संरक्षण	रा॰यो॰	0.52
2403	पशुपालन	के॰यो॰यो॰	0.23
2403	पशुपालन	के॰प्रा॰यो॰	2.77
2403	पशुपालन	रा॰यो॰	2.66
2404	डेयरी विकास	रा॰यो॰	3.46
2405	मछली पालन	रा॰यो॰	8.91
2425	सहकारिता	रा॰यो॰	1.25

परिशिष्ट ''ङ''
(लेखे पर टिप्पणियों के पैरा 7(क) में संदर्भित)
मार्च 2012 के दौरान योजना निधि की आकस्मिक विपत्रों द्वारा निकासी

मुख्य शीर्ष	नामकरण	योजना का प्रकार	राशि (करोड़ रुपयों में)
2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	रा०यो०	0.29
2505	ग्रामीण रोजगार	रा०यो०	0.99
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	रा०यो०	38.69
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	रा०यो०	0.63
3452	पर्यटन	रा०यो०	0.75
3456	सिविल आपूर्ति	रा०यो०	23.17
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	रा०यो०	38.97
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	रा०यो०	22.04
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	के०प्रा०यो०	4.07
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	रा०यो०	22.39
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	के०प्रा०यो०	0.42
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	रा०यो०	6.61
4401	फसल कृषिकर्म पर पूंजीगत परिव्यय	रा०यो०	3.00
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	के०प्रा०यो०	0.30
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	रा०यो०	0.30
4425	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	रा०यो०	0.15
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	रा०यो०	31.55
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	रा०यो०	0.15
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	रा०यो०	3.46
		योग	**8,88.98**

परिशिष्ट ''च''

(लेखे पर टिप्पणियों के पैरा 10 से संदर्भित)

पूंजी अनुभाग के अन्तर्गत सहायक अनुदान

मुख्य शीर्ष	नामकरण	विस्तृत एवं प्राथमिक शीर्ष कोड	नामकरण	राशि
				(करोड़ रूपयों में)
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0679	गैर-वैतनिक सहायता अनुदान	(*)
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0678	पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए सहायक अनुदान	4.72
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	0646	सहाय्य अनुदान (सहायता अनुदान)	1.03
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	0646	सहाय्य अनुदान (सहायता अनुदान)	3.50
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	0679	पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए सहायक अनुदान	1.50
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	0678	पूंजीगत परिसम्पतियों के लिए सहायक अनुदान	2.07
			कुल	**12.82**

(*) केवल ₹ 0.45 लाख

परिशिष्ट ''छ''
(लेखे पर टिप्पणियों के पैरा 14 में संदर्भित)
राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत मुख्य निर्माण-कार्य

मुख्य शीर्ष	उप-मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप-शीर्ष	विवरण	विस्तृत शीर्ष	राशि
					(करोड़ रूपयों में)	
2029	00	102	06	सर्वे और बंदोबस्ती कार्यालय के निर्माण तथा पुनरूद्धार के लिए	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	0.05
2029	00	102	11	राजस्व कचहरी एवं दामिन बंगला निर्माण/ जीर्णोद्धार के लिए	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	4.19
2029	00	104	07	सैरात के अंतर्गत हाट, बाजार, मेला, तालाब, नदी घाटी का विकास	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	0.22
2029	00	104	14	सरकारी भूमि के चारदीवारी का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	3.08
2029	00	796	07	सैरात के अंतर्गत हाट, बाजार, मेला, तालाब, नदी घाटी का विकास	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	0.30
2029	00	796	08	सर्वे और बंदोबस्ती कार्यालय के निर्माण/ तथा पुनरूद्धार के लिए	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	0.26
2029	00	796	11	राजस्व कचहरी एवं दामिन बंगला निर्माण/ जीर्णोद्धार के लिए	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	5.84
2055	00	115	67	पुलिस का आधुनिकीकरण तथा भवन निर्माण	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	1,14.26
2055	00	796	69	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	63.50
2055	00	800	69	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	11.00
2220	60	106	03	क्षेत्रीय प्रचार योजना-सूचना भवन का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	0.85
2225	02	277	66	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	1.20

परिशिष्ट ''छ''-क्रमांत

(लेखे पर टिप्पणियों के पैरा 14 में संदर्भित)

राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत मुख्य निर्माण-कार्य

मुख्य शीर्ष	उप-मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप-शीर्ष	विवरण	विस्तृत शीर्ष	राशि
					(करोड़ रूपयों में)	
2225	02	277	72	अनुसूचित जनजाति के छात्राओं के लिए आवासीय छात्रावास का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	1.20
2225	02	796	47	शिक्षा-जनजातियों के जाहेर स्थान/हड़गड़ी/मसना/सरना स्थलों के चारदीवारी का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	2.74
2225	02	796	77	अनुसूचित जनजाति के छात्राओं के लिए आवासीय छात्रावास का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	1.46
2230	01	001	05	श्रम कार्यालयों के लिए भवन निर्माण	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	2.25
2230	01	109	12	बीड़ी कर्मियों के लिए आवासीय निर्माण	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	2.10
2230	02	101	01	रोजगार सेवाओं का विस्तार	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	0.10
2230	02	796	01	रोजगार सेवाओं का विस्तार	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	0.69
2235	02	106	42	वृद्धाश्रम का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	0.50
2235	02	796	24	कार्यरत महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	0.73
2235	02	796	42	वृद्धाश्रम का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	0.50
2401	00	796	17	विभागीय आधारभूत संरचना का विकास	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	7.46
2401	00	800	09	विभागीय आधारभूत संरचना का विकास	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	6.12
2425	00	796	05	लैम्पस के व्यापारिक विकास के लिए गोदाम का निर्माण/जीर्णोद्धार	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	0.50
2515	00	102	17	पोस्ट स्टेज-2 ब्लॉक्स-प्रखण्ड भवन का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	3.09
2515	00	102	17	पोस्ट स्टेज-2 ब्लॉक्स-प्रखण्ड भवन का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	15.93
3054	01	337	01	राष्ट्रीय उच्चपथ के लिए मरम्मतिकरण तथा रखरखाव	0545 मुख्य निर्माण-कार्य	0.01
				कुल		**2,50.13**

टिप्पणी : मुख्य निर्माण कार्य के व्यय में भूमि का अधिग्रहण और ढाँचों की लागत शामिल है।

परिशिष्ट-1-रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

			31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2012 को
			(लाख रूपयों में)	
(क)	**सामान्य रोकड़ शेष-**			
	(1)	रिजर्व बैंक के पास जमा [1]	-8,91,38.72	93,84.56
	(2)	रोकड़ शेष निवेश लेखा में रखा गया निवेश	8,79,19.02	4,41.03
		जोड़-(क)	**-12,19.70**	**98,25.59**
(ख)	**अन्य रोकड़ शेष और निवेश-**			
	(1)	विभागीय अधिकारियों अर्थात् वन और लोक-निर्माण विभाग के अधिकारियों के पास रोकड़	11,67.54	18,47.64
	(2)	विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम राशियाँ	10.85	10.85
	(3)	उद्दिष्ट निधियों के निवेश	...	...
		जोड़-(ख)	**11,78.39**	**18,58.49**
		जोड़-(क) और (ख)	**-41.31**	**1,16,84.08**

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ :-

(क) **रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य :** कोषागारों में रोकड़ तथा भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में जमा एवं पारगमन हेतु प्रेषण, जैसा कि नीचे उल्लेखित है, ''रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य'' का निर्माण करते है। ''रिजर्व बैंक में जमा'' शीर्ष के अंतर्गत शेष वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे का सम्मिलित शेष बतलाते हैं। सम्पूर्ण रूप से रोकड़ की स्थिति को जानने के लिए, कोषागारों, विभागों एवं निवेशों के रोकड़ शेष, को ''भारतीय रिजर्व बैंक में जमा'' के शेष में जोड़ा जाना चाहिए।

(ख) **दैनिक रोकड़ शेष :** भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए करार के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रत्येक दिन बैंक के पास ₹ 0.45 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना होता है। यदि किसी भी दिन रोकड़ शेष इस न्यूनतम राशि से कम पड़ जाता है, तो इस कमी को समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट्स लेकर पूरा किया जाता है।

अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट्स स्वीकृत करने हेतु दैनिक रोकड़ शेष [2] ज्ञात करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक धारित 14 दिनों का कोषागार विपत्रों सहित लेन-देनों के रिपोर्ट (भारतीय रिजर्व बैंक के काउन्टरों पर, अन्तर्शासकीय लेन-देन तथा एजेंसी बैंकों के द्वारा रिपोर्ट किए गए कोषागारों के लेन-देन) के साथ उस दिन के लिए मूल्यांकन करता है। इस प्रकार से ज्ञात किए गए रोकड़ शेष में, 14 दिनों के कोषागार विपत्रों की परिपक्वता, यदि कोई हो तो, को जोड़ा जाता है और अधिक शेष यदि कोई हो तो, न्युनतम रोकड़ शेष को पूरा करने के बाद, कोषागार विपत्रों में पूर्ननिवेश किया जाता है। जब रोकड़ शेष इस न्यूनतम शेष या जमा शेष से कम पड़ जाता है और यदि उस दिन कोई भी 14 दिनों का कोषागार विपत्र परिपक्वता नहीं हो रहा है, तब भारतीय रिजर्व बैंक, धारित 14 दिनों के कोषागार विपत्र पर पुनः छूट देती है, ताकि कमी को पूरा किया जा सके। यदि उस दिन कोई भी धारित 14 दिनों का कोषागार विपत्र नहीं है, तब राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट के लिए आवेदन करती है।

---

[1] रिजर्व बैंक में जमा शीर्ष के अंतर्गत शेष, 16 अप्रैल 2012 तक भारतीय रिजर्व बैंक को दिए गए परामर्श के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 से संबंधित अंर्तशासकीय मौद्रिक समायोजन को लेखे में समाविष्ट करने के पश्चात ही निकाला जा सकता है।

[2] उपरोक्त रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा) 31 मार्च को वर्ष के अंत रोकड़ शेष को दर्शाता है, जो कि 16 अप्रैल तक निकाला जाता है। यह 31 मार्च का दैनिक शेष नहीं है।

परिशिष्ट-1-रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश-क्रमांत

(ग) राज्य सरकार को दिए जाने वाले साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹ 280 करोड़ 01-01-2006 से प्रभावी थी। सरकार के प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर उसके बदले विशेष अर्थोपाय अग्रिम दिए जाने पर भी बैंक की सहमति ली गई। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को बैंक द्वारा समय समय पर संशोधन किया जाता है।

वर्ष 2011-12 के दौरान सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ जिस सीमा तक न्यूनतम शेष बरकरार रखा, वह नीचे दिया गया है :-

(i)	दिनों की संख्या, जिसमें बिना कोई अग्रिम लिए न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया	360
(ii)	दिनों की संख्या, जिसमें साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया	1
(iii)	दिनों की संख्या, जिसमें विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष बरकरार रखा	5
(iv)	दिनों की संख्या, जिसमें उपरोक्त अग्रिम लेने के बाद भी न्यूनतम शेष से कम था लेकिन कोई ओभरड्राफ्ट् नहीं लिया गया था	शून्य
(v)	दिनों की संख्या, जिसमें ओभरड्राफ्ट लिया गया था	शून्य

(घ) रोकड़ शेष में से ₹ 4.41 करोड़ का निवेश अन्य राज्य सरकारों के प्रतिभूतियों में किया गया। रोकड़ शेष निवेश लेखा में रखे गए निवेशों पर वर्ष के दौरान ₹ 42.04 करोड़ ब्याज प्राप्त हुआ।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा अपनी प्रतिभूतियों में कोई निवेश नहीं किया था।

(च) उद्दिष्ट निधियों में से किए गए निवेशों का ब्योरा विवरण संख्या 19 में दिया गया है।